Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-III

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)   Print Date : 02-07-2024 3:42 PM

Fee Receipt No	:	202402053000713	Receipt Date	:	02/07/2024
Name	:	ADV. MUKUL ANGIRAS, .	Document S. No.	:	202401053000545
Address	:	KHASRA NO 50/9, 50/11,50/14 VILLAGE UICHIYARDA JODHPUR			
Document Type	:	Inspection And Search			
Face Value	:	₹ 650	Evaluated Value	:	₹ 0

Ord-Registration Fee	:	₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 0	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 0	Stamp Duty	:	₹ 0
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 650
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
SiteInspection Fees	:	0	**Cash Amount Received**	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 650
From Year 2012 To Year 2024			**Total Amount**	:	₹ 650

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 91382468 ₹ 650

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर (राज.)

उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर

mukul angiras | #07665666677, 09314476233
B.Sc., LL.B. Advocate
Old Lawyer's Chamber 12, Rajasthan High Court, Jodhpur - 342001 (Raj.)
Office : 1004, First 'D' Road, Sardarpura, Near Nehru Park, Jodhpur (Raj.)
email : angirasassociates@gmail.com mukulangiras26@gmail.com
Phone : 0291-2633300

ADVOCATE

Date :- 05.07.2024

To Whom It May Concern

Sub. :- Legal Report Regarding the property situated at Kh. No. 50/9, 50/11, 50/14, of Village Uchiyarada, District Jodhpur.

Owner of Property – **Harshvardhan Singh S/o Karan Singh**

Details of Property – **Property Situated At Kh. No. 50/9, 50/11, 50/14 of Village Uchiyarada, District Jodhpur.**

Total admeasuring Area – 5754.05 Sq. Yard

I have perused the following to this letter in respect of the above mentioned project.

In my opinion, the Property Type Transaction is Plots/Villas Being Purchased Directly from Builder.

01. Photocopy of Jamabandi in the name of Anita Acharya, Manju Devi, Birma Ram Acharya, Priya Yadav, for **Kh. No. 54/4**
02. Photocopy Power of Attorney executed by Anita Acharya D/o Birma Ram Acharya in favour of Birma Ram Acharya S/o Bhagirath on Notarize dated. 30.01.2023
03. Photocopy Sale Deed executed by **1.** Birma Ram Acharya S/o Bhagirath as a POA holder of Anita Acharya D/o Birma Ram Acharya, **2.** Manju Devi W/o Birma Ram Acharya **3.** Priya Yadav W/o Raj Kumar Yadav in favour of Harshvardhan Singh S/o Karan Singh which was duly registered before Sub Registrar IV Jodhpur, Registered on Dated 04.02.2023, Book No. 1, Zild No. 420, Page No. 143, S. No. 202303054102420 **(Kh. No. 54/1 Part of Kh No. 50/4 Area 19 Bishwa 12 Bishwanshi)**
04. Photocopy Sale Deed executed by Manju Devi W/o Birma Ram, Priya Yadav W/o Raj Kumar Yadav in favour of Harshvardhan Singh S/o Karan Singh which was duly registered before Sub Registrar IV Jodhpur, Registered on Dated 04.02.2023, Book No. 1, Zild No. 420, Page No. 144, S. No. 202303054102421 **(Kh. No. 54/2 Area 01 Bigha 3 Bishwa 11 Bishwanshi)**
05. Photocopy of Jamabandi in the name of Uday Kanwar W/o Lt. Manohar Singh, Balveer Singh S/o Lt. Manohar Singh
06. Photocopy Power of Attorney executed by Uday Kanwar W/o Lt. Manohar Singh, Balveer Singh S/o Lt. Manohar Singh in favour of Hanuman Pratap Singh S/o Ishwar Singh on Notarize dated. 20.01.2023
07. Photocopy Sale Deed executed by Hanuman Pratap Singh S/o Ishwar Singh as a POA holder of Uday Kanwar W/o Lt. Manohar Singh, Balveer Singh S/o Lt. Manohar Singh in favour of Harshvardhan Singh S/o Karan Singh which was duly registered before Sub Registrar IV Jodhpur, Registered on Dated 04.02.2023, Book No. 1, Zild No. 420, Page No. 142, S. No. 202303054102419 **(Kh. No. 54/1 Area 16 Bishwa 6 Bishwanshi)**
08. Photocopy of Jamabandi in the name of Harshvardhan Singh S/o Karan Singh for **Kh. No. 54/4,54/1,54/2**
09. Photocopy Conversion Order no. 101986, Dated. 06.10.2023 issued by JDA, Jodhpur in favour of Kamali W/o Lumba Ram. **(Kh. 50/9, 50/11,50/14 , Area 02.19.09 Bigha)**
10. Photocopy of Lay Out Plan issued by JDA, Jodhpur on Dated. 17.07.2023 **(Kh. No. 50/9, 50/11, 50/14)**

TITLE–CERTIFICATE

This is to certify Property **: Kh. No. 50/9, 50/11, 50/14 of Village Uchiyarada, District Jodhpur. which is owned by Harshvardhan Singh S/o Karan Singh** Title of ownership of the said property is clear, free marketable and chain of title is complete. Property is marketable and mortgage-able.

SEARCH CUM NON-ENCUMBRANCE CERTIFICATE

This is to certify that a search has been conducted by me in the Sub Registrar Office, IV Jodhpur for a total period of 2012- 2024 of the **: Kh. No. 50/9, 50/11, 50/14 of Village Uchiyarada, District Jodhpur.** owned by **Harshvardhan Singh S/o Karan Singh** and no registered encumbrances was found.

Search Receipt No. 202402053009713 dated 02.07.2024 of Rs. 650 /- for the 13 year from 2012-2024

MUKUL ANGIRAS ADVOCATE RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान सरकार
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जोन संख्या–1)

क्रमांक LU2012/JOD/2023-24/101986 दिनांक – 8 /09/2023

विषय – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

–: आदेश :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं–

श्री [illegible] पुत्र श्री करणसिंह, जाति राजपूत, निवासी राजस्व ग्राम उचियारड़ा, जोधपुर। (आवेदक/खातेदार)

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय कॉलोनी उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:–

क्र.स.	ग्राम, तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्ट.)
1	राजस्व ग्राम उचियारड़ा, तहसील व जिला जोधपुर	उपरोक्तानुसार	50/9, 50/11 व 50/14	2–19–09 बीघा
		कुल		0.48115 हैक्टेयर

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

(3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदकों के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय कॉलोनी उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय कॉलोनी उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदकों द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

(5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथा विहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 8 /09/2023 को पारित किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
उपायुक्त (जोन संख्या–1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN ★ ★ T 211166

03 JAN 2023 जोधपुर (राज.)

NOTARY
FAMINA ZAI
ADVOCATE
JODHPUR (Rajasthan)
Reg. No. 10235
Exp Dt 27-9-2023
GOVT. OF INDIA

आम मुख्त्यारनामा

आम मुख्त्यारनामा का दस्तावेज एक लिख देती हूं मैं **कुमारी अनिता आचार्य पुत्री श्री बीरमाराम जी**, उम्र 34 वर्ष, जाति आचार्य ब्राह्मण, निवासी कन्हैया नगर, शिकारगढ़, जोधपुर (राज॰) में रहने वाली (जिसे आगे इस दस्तावेज में प्रथम पक्षकार अथवा अधिकारदाता के नाम से सम्बोधित की जायेगी), नेः–

Pan No. AOBPA2656M Aadhar No. [redacted] 7329

//बहक//

आप **श्री बिरमाराम आचार्य पुत्र श्री भागीरथराम,** उम्र 57 वर्ष, जाति आचार्य ब्राह्मण, निवासी 244, कन्हैया नगर, शिकारगढ़, जोधपुर (राज॰) में रहने वाला (जिसे आगे इस दस्तावेज में द्वितीय पक्षकार अथवा अधिकारग्रहिता के नाम सम्बोधित किया जायेगा), के हक मे निम्न प्रकार से तहरीर व तकमील कर देती हूं किः–

Aadhar No. [redacted] 3495

Anita अनिता बिरमाराम

NOTARY, JODHPUR

नाम मुद्राक विक्रेता :- दुर्गेश कुमार खिची अनुज्ञा पत्र सं. 01/2012

रजि.क्र.सं. 6452 दिनांक 18/01/23 मु.वेल्यू व क्र.सं. 5000

मुद्रांक क्रेता का नाम [illegible]

पिता/पति का नाम [illegible]

पता [illegible] जोधपुर

प्रयोजन [illegible]

हस्ते क्रय की दशा में हस्ते का नाम पता [illegible]

हस्ताक्षर

मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर
कचहरी परिसर, जोधपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार	
1 आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3–क)–10% रुपये	50
2 गाय और उसकी नस्ल के संरक्षक और संवर्धन हेतु (धारा 3–ख)–20% रुपये	100
हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर कुल योग	150/

1– यह है कि मुझ प्रथम पक्षकार–निष्पादनकर्ता की सामलाती खरीदसुदा, सहखातेदारी की, कब्जासुदा, मालिकाना हक व स्वामित्व की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 50/4 रकबा 7 (सात) बीघा वाके ग्राम उचियारडा, तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है, जो भूमि मुझ प्रथम पक्षकार एवं अन्य 4 सहक्रेतागण ने जरिये पंजीकृत सामलाती बेचाननामा के मनोहर सिंह पुत्र श्री मेगसिंह, जातति राजपूत, निवासी ग्राम उचियारड़ा, तहसील व जिला जोधपुर से खरीद की, जो बेचाननामा उप–पंजीयक (तृतीय) जोधपुर के कार्यालय में दिनांक 30.01.2009 को पुस्तक सं.1, जिल्द सं. 214, पृष्ठ सं. 122, क्रम सं. 2009000722 पर पंजीबद्ध किया, जिसमें मुझ प्रथम पक्षकार का 1/5 हक, हिस्सा है यानि मेरे हक हिस्से में रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि आती है। उक्त बेचाननामा के आधार पर मुझ प्रथम पक्षकार एवं अन्य सहक्रेतागण का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर खरीद की गई भूमि को खसरा संख्या 50/4 रकबा 7 बीघा के रूप में दर्ज किया गया, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है।

यह है कि इस प्रकार मैं प्रथम पक्षकार ही उक्त कृषि भूमि में अपने हिस्से की भूमि की आज दिन मालकिन, काबिज, स्वामिनी हूं, जिसमें मुझ प्रथम पक्षकार के अलावा मेरे अन्य किसी भी रिश्तेदारान् का उक्त भूमि में कोई हक, हिस्सा, बंट, दखल, वास्ता, सरोकार, अधिकार आदि नही है और जिसे हर प्रकार से उपयोग, उपभोग व मुन्तकिल आदि करने का कानूनी हक व अधिकार मुझ प्रथम पक्षकार को हासिल है। अपने इन्हीं कानूनी हक व अधिकारो का उपयोग करते हुए मुझ प्रथम पक्षकार द्वारा उक्त कृषि भूमि में अपने सम्पूर्ण हक, हिस्से की भूमि **रकबा 1 (एक) बीघा 8 (आठ) बिस्वा कृषि भूमि** के बाबत आप द्वितीय पक्षकार को अपना आम मुख्त्यार नियुक्त करता हूं। जिसकी स्थिति व नाप की विगत निम्न प्रकार है:–

NOTARY
FAMINA ZAI
ADVOCATE
JODHPUR (Rajasthan)
Reg. No. 10235
Exp Dt 27-9-2023
GOVT. OF INDIA

स्थिति :– उपरोक्त कृषि भूमि वाके ग्राम उचियारड़ा, तहसील व जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 50/4 में स्थित है, जो भूमि असिंचित है, जिसमें केवल सावणु फसल होती है, जिसमें कोई ट्यूबवैल, कुआ आदि नही है।

नापः– रकबा 1 (एक) बीघा 8 (आठ) बिस्वा कृषि भूमि।

यह है कि मैं प्रथम पक्षकार अपने अन्य दीगर कार्यो में व्यस्त रहती हूं तथा अपने हिस्से उक्त कृषि भूमि के संबंध में तमाम कार्य एवं कार्यवाहियां करने में असमर्थ हूं इसलिए आप द्वितीय पक्षकार **जो मेरे पिता है,** को अपना आम मुख्त्यार नियुक्त कर निम्नांकित अधिकार प्रदान करती हूं कि:–

यह है कि प्रथम पक्षकार के मुख्त्यार मजकुर को उक्त कृषि भूमि के मुतलिक हक हकूकों को बेचान करने का, इकरार करने का, एडवांस लेने का, रसीद देने का, बेचाननामा तहरीर व तकमील कर पंजीयन करवाने का अथवा वो कहे उस व्यक्ति के

Anita × अनिता

NOTARY, JODHPUR

हक में एक हिस्से में अथवा एक से अधिक हिस्सो में बेचाननामा/नामें तहरीर व तकमील कर पंजीयन करवाने का वास्ते पंजीयन उप-पंजीयक अथवा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का, निष्पादन स्वीकार करने का, प्रतिफल रोकडे/चैक से प्राप्त हो ज़ाना स्वीकार करने का, उसके लिए हर प्रकार का प्रार्थना पत्र, घोषणा पत्र आदि देने का, हस्ताक्षर करने का, तस्दीक करने का अथवा प्रथम पक्ष ने भी किसी से बेचान इकरार कर लिया है तो उसका बेचाननामा को आप अपने हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशान कर पंजीबद्ध करवाने का यानि बेचान के मुतलिक कुल व कार आमद तौर पर कार्यवाही करने का अधिकार रहेगा।

यह है कि मेरा आम मुख्त्यार उपरोक्त कृषि भूमि में आने-जाने के लिए रास्ता आदि छोड़कर प्लानिंग बना सकेगा, उक्त भूमि में मुटाम्प लगा सकेगा, बिजली पोल लगवा सकेगा, भूमि के चारो ओर बाउण्ड्रीवाल बनवा सकेगा, प्लानिंग का एक साथ या अलग-अलग भूखण्डों के रूप में बेचान कर सकेगा। उक्त कृषि भूमि का एक साथ या अलग-अलग टुकड़ो में संबंधित विभाग से पट्टा हासिल कर सकेगा, पट्टा पंजीयन कार्यालय में पंजीबद्ध करवा सकेगा, जिस बाबत् मुझ प्रथम पक्षकार को किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नही होगा तथा वे तमाम कार्यवाहियां जो मेरे आम मुख्त्यार द्वारा की गई है वे सभी मेरे द्वारा की हुई मानी व समझी जायेगी।

यह है कि प्रथम पक्षकार के मुख्त्यार मजकुर को आवश्कतानुसार किसी भी वकील, चारटर्ड एकाउन्टेन्ट, कानूनी सलाहकार, पैरोकार इत्यादि मुकरर करने का अधिकार होगा।

NOTARY
FAMINA ZAI
ADVOCATE
JODHPUR (Rajasthan)
Reg. No. 10235
Exp Dt 27-9-2023
GOVT. OF INDIA

यह है कि प्रथम पक्षकार के मुख्त्यार मजकुर को उक्त कृषि भूमि भूमि के मुतलिक किसी भी महकमा, विभाग, कार्यालय, ओफिस, न्यायालय आदि से हर प्रकार की स्वीकृति, अनुज्ञा, सहमति व प्रमाण पत्र आदि हासिल करने का अधिकार रहेगा, चाहे वो राज्य कानून के तहत आवश्यक हो अथवा केन्द्रीय कानून के तहत।

यह है कि मेरा आम मुख्त्यार उपरोक्त कृषि भूमि भूमि बाबत तमाम सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी विभाग, कार्यालय, संस्था जैसे नगर निगम जोधपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, बैंक, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, तहसील, कलेक्ट्रेट इत्यादि समस्त विभागों में आवश्यक कार्यवाहियां अपने हस्ताक्षरों से स्वंय उपस्थित होकर कर सकेगा।

यह है कि प्रथम पक्षकार के मुख्त्यार मजकुर को उक्त कृषि भूमि के मुतलिक हर प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने का, दावा, अपील, निगरानी, नजरसानी, रिव्यु, रिट उजरदारी, जवाबदावा, अपील दर अपील, जवाबुल जवाब, नोटिस देने का, नोटिस प्राप्त करने का, शहादत, सबुत, साक्ष्य प्रस्तुत करने का, दस्तावेज प्रस्तुत करने का, दस्तावेज पुनः प्राप्त करने का, किसी भी मामले में दस्तरबार होने का, राजीनामा करने का, उसके लिए हर प्रकार का प्रार्थना पत्र, शपथपत्र, बोण्ड, डिक्लेरेशन घोषणा पत्र, स्टेटमेंट, अण्डरटेकिंग, रिटर्न, नक्शा, इत्यादि प्रस्तुत करने का, हस्ताक्षर करने व तस्दीक करने का यानि तमाम प्रकार की कानूनी कार्यवाहीयो को उच्च व उच्चतम क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय में करने का अधिकार रहेगा।

NOTARY, JODHPUR

Anita

यह है कि मेरा आम मुखत्यार उपरोक्त कृषि भूमि को यदि किसी सरकारी, गैर सरकारी महकमें आदि में यदि अवाप्त/कुर्क किया जाता है तो ऐसी सूरत में उक्त अवाप्ति/कुर्की के खिलाफ मेरी ओर से कार्यवाही उक्त भूमि को अवाप्ति/कुर्की मुक्त करवा सकेगा या अवाप्त होने की स्थिति में मेरी ओर से मुआवजा प्राप्त कर सकेगा।

यह है कि यह दस्तावेज निरस्तनीय है। इस दस्तावेज के जरिये भूमि का मालिकाना कब्जा आपको सुपुर्द नही किया गया है।

यह है कि मेरा आम मुख्त्यार को उपरोक्त कृषि भूमि बाबत वे सभी अधिकार हासिल होगें जो मुझे हासिल है चाहे उसका स्पष्ट खुलासा इस आम मुख्त्यारनामा में न भी किया गया हो तथा मेरे आम मुख्त्यार द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य, हस्ताक्षर व उपस्थिति मेरे स्वंय की माने जावेगे तथा जिससे मैं पूर्ण रूप से पाबन्द रहूंगा।

लिहाजा यह आम मुख्त्यार नामा मैंने अपनी राजी खुशी, अकल होशियारी, बिना नशे पते, तन्दुरूस्ती की हालत में बगैर किसी दबाव के अच्छी तरह सोच समझकर तहरीर व तकमील कर लिख दिया है जो सही व सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें। इति दिनांक – 30/04/23

NOTARY
FAMINA ZAI
ADVOCATE
JODHPUR (Rajasthan)
Reg. No. 10235
Exp Dt 27-9-2023
GOVT. OF INDIA

IDENTIFIED BY

R. Kumar

Anita
+ अनिता

अंगुष्ठ निशान

निष्पादनकर्ता

साख 1 मैं Sunil Kumar पुत्र Birmaram, जाति Brahman, निवासी– 244, Kanahiya Nagar, Shikargarh, Jodhpur में रहने वाले ने निष्पादनकर्ता के कहने पर डाली है, जो सही है।

साख 2 मैं Dilip kumar पुत्र K.K. Chattopadhyay जाति Brahmin, निवासी– 114, Samant Nagar, Shikargarh. में रहने वाले ने निष्पादनकर्ता के कहने पर डाली है, जो सही है।

Signature Id of ...
Identified by...
ATTESTED
NOTARY JODHPUR
30/04/23

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

A 344325

Advocate
Raj High Court, Jodhpur

|| श्री ||

<u>विक्रय – विलेख</u>

Advocate
Raj High Court, Jodhpur

विक्रय विलेख एक हम –

1. बिरमाराम आचार्य पुत्र श्री भागीरथ जी आचार्य जाति ब्राहम्ण् आयु 57 वर्ष निवासी 244, कन्हैया नगर, शिकारगढ़, जोधपुर AADHAR NO. 9750 3076 3495 बहैसियत आम मुख्तयार अपनी पुत्री अनिता आचार्य पुत्री श्री बिरमाराम आचार्य आयु 34 वर्ष निवासी 244, कन्हैया नगर, शिकारगढ़, जोधपुर.
   AADHAR NO. [redacted]**7329** **PAN NO. AOBPA 2656 M**
2. श्रीमती मन्जू देवी पत्नी श्री बिरमाराम जी जाति आचार्य ब्राहम्ण् आयु 53 वर्ष निवासी 244, कन्हैया नगर, शिकारगढ़, जोधपुर.
   AADHAR NO. 3508 8505 8076 **PAN NO. AQIPD 7537 K**
3. श्रीमती प्रिया यादव पत्नी श्री राजकुमार यादव जाति अहीर आयु 40 वर्ष निवासी 28, कन्हैया नगर, शिकारगढ़, जोधपुर.
   AADHAR NO. [redacted] **5110** **PAN NO. AAUPY 3023 H** – विक्रेता.

<u>ब ह क</u>

श्री हर्षवर्धनसिंह पुत्र श्री करणसिंह जी जाति राजपूत आयु 29 वर्ष निवासी ग्राम उचियारड़ा तहसील व जिला जोधपुर.

AADHAR NO. [redacted] **4390** **PAN NO. ECIPS 2219 P** – क्रेता.

के पक्ष में निम्न प्रकार से लिख दिया है :–

Priya Yadav

..........2.

नाम मुद्रांक विक्रेता कीर्ति राठी अनुज्ञा पत्र संख्या 07/2011, जोधपुर
रजि. क्रम संख्या 1075/1 दिनांक 4.2.2023 ... स्टाम्प वेण्डु व क्रम संख्या. 25000/-
मुद्रांक क्रेता का नाम हर्षवर्धन सिंह
पिता/पति का नाम श्री करणसिंह जी
पता ग्राम डाबियारड़ा तहसील व जिला जोधपुर खरीदने सम्पति
हस्ते क्रय की दशा में हस्ते का नाम पता दिनेश राठी एडवोकेट

Dinesh Rathi, Adv.
क्रेता/हस्ते के हस्ताक्षर

Kirti Rathi
मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर
शिवरोड, रातानाड़ा, जोधपुर

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे स्टॉक में 50,000 रू. का एक स्टाम्प नही होने से विकल्प में 25000 रू. के 2 = 50,000/- दिये गये है।
Kirti Rathi
हस्ताक्षर
स्टाम्प विक्रेता, जोधपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार	
1 आधारभूत आवसरचना परियोजनाओं हेतु (धारा 3-क) 10 प्रतिशत	5000
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) प्राकृतिक आपदा एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु 20 प्रतिशत	10000
हस्ताक्षर स्टाम्प वेन्डर कीर्ति राठी लाईसेन्स नम्बर 07/2011	कुल योग 15,000

Kirti Rathi

Advocate
Raj High Court, Jodhpur

वीरमाराम

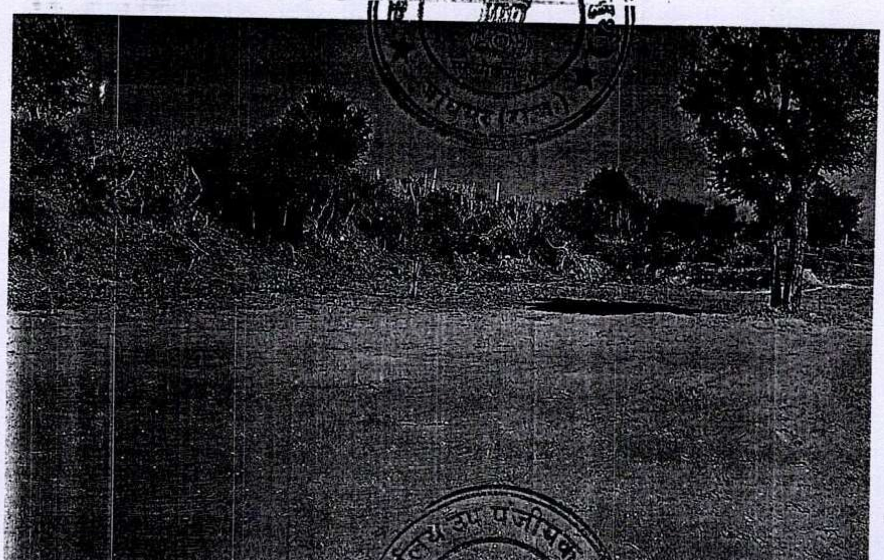

मंजु

Priya yadav

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु. 25000 पच्चीस हजार रूपये
Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA
राजस्थान RAJASTHAN
A 344326

1\. कि विक्रेता अनिता आचार्य, श्रीमती मन्जू देवी व श्रीमती प्रिया यादव के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 50/4 रकबा 7 बीघा किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम उचियारड़ा तहसील व जिला जोधपुर में स्थित है ।

उक्त खसरा नम्बर 50/4 की भूमि मूल खसरा नम्बर 50/1 का भाग है । खसरा नम्बर 50/1 की रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से रकबा 7 बीघा भूमि विक्रेता अनिता आचार्य, श्रीमती मन्जू देवी, श्रीमती प्रिया यादव व श्रीमती रेखा तंवर व खुशबु तंवर ने संयुक्त रूप से दिनांक 30.1.2009 को श्री मनोहरसिंह पुत्र श्री मेगसिंह जी से खरीद की जिसका बेचाननामा उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर के कार्यालय में दिनांक 30.1.2009 को पुस्तक संख्या प्रथम जिल्द संख्या 214 पृष्ठ संख्या 122 क्रम संख्या 2009000722 पर पंजीबद्ध किया हुआ है । उक्त भूमि खरीद कर सभी सह खरीददारान ने म्युटेशन अपने नाम से भरवाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जिस पर उक्त 7 बीघा भूमि के नये खसरा नम्बर 50/4 अंकित किये गये तत्पश्चात् श्रीमती रेखा तंवर व खुशबु तंवर ने उक्त खरीद सुदा भूमि में स्थित अपना सम्पूर्ण 1/5–1/5 हिस्सा विक्रेता श्रीमती प्रिया यादव के हक में

............3.

नाम मुद्रांक विक्रेता कीर्ति राठी अनुज्ञा पत्र संख्या 07/2011, जोधपुर
रजि. क्रम संख्या 1075/2 दिनांक 4.2.2023 मुद्रांक वेल्यु व क्रम संख्या 25000/,
मुद्रांक क्रेता का नाम हर्षवर्धनसिंह
पिता/पति का नाम श्री करणसिंह जी
पता ग्राम अखियारड़ा तहसील व जिला जालोर
हस्ते अर्ज की दशा में हस्ते का नाम पता
खरीदने सम्पत्ति निवेशार्थ एग्रीमेन्ट

(signature)
क्रेता/हस्ते के हस्ताक्षर

(signature)
मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर
शिवरोड, रातानाड़ा, जोधपुर

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.)

हकतर्क कर दिया । हकतर्कनामा उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर के कार्यालय में दिनांक 24.11.2016 को पुस्तक संख्या प्रथम जिल्द संख्या 862 पृष्ठ संख्या 12 क्रम संख्या 201603053109906 पर पंजीबद्ध किया हुआ है । इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 50/4 की भूमि में विक्रेता अनिता आचार्य का 1/5 हिस्सा, श्रीमती मन्जू देवी का 1/5 हिस्सा व श्रीमती प्रिया यादव का 3/5 हिस्सा है, जिस पर विक्रेता बहैसियत खातेदार काबिज है जो नई जमाबन्दी संख्या 36 व पुरानी जमाबन्दी संख्या 80 से स्पष्ट है । उक्त खसरा नम्बर 50/4 की भूमि पर विक्रेता का स्वतंत्र रूप से कब्जा चला आ रहा है जिसमें विक्रेता के अलावा अन्य किसी का कोई हक, हिस्सा नहीं है एवं उक्त खसरा नम्बर 50/4 की भूमि विक्रेता को विक्रय करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है । विक्रेता अनिता आचार्य ने उक्त खसरा नम्बर 50/4 की भूमि में स्थित अपने 1/5 हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही करने, उसे बेचान करने, प्रतिफल की राशि प्राप्त करने, बेचाननामा निष्पादित कर रजिस्ट्री करवाने हेतु एक आम मुख्तयारनामा दिनांक 30.01.2023 को अपने पिता मुझ बिरमाराम आचार्य के हक में निष्पादित किया जो नोटेरी पब्लिक, जोधपुर से तस्दीक सुदा है एवं आज भी प्रभाव में है जिसमें दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए बिरमाराम आचार्य बहैसियत आम मुख्तयार अपनी पुत्री विक्रेता अनिता आचार्य के यह विक्रय विलेख आप क्रेता के हक में निष्पादित कर रहे है ।

2. कि विक्रेता को रकम की आवश्यकता होने से विक्रेता ने उक्त खसरा नम्बर 50/4 की भूमि में से उत्तर दिशा की रकबा 19 बिस्वा 12 बिस्वांशी भूमि आप क्रेता को रूपये 18,00,000/– अक्षरे अठारह लाख रूपये में विक्रय करना तय कर विक्रय कर दी है एवं प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि रूपये 18,00,000/– अक्षरे अठारह लाख रूपये निम्न प्रकार प्राप्त कर लिये है :–

............4.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 04 माह 02 सन् 2023 को 10:02 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BIRMA RAM ACHARYA GPA HOLDER OF ANITA ACHARYA पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHRI BHAGIRATH JI ACHARYA
उम्र 57 वर्ष, जाति 0-BRAHMIN , व्यवसाय Business
निवासी House No.:244, Colony: KANHIYA NAGAR, Area: SHIKARGARH, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202301054003036

Sale Deed (Conveyance Deed)

हस्ताक्षर उप पंजीयक
JODHPUR-II
उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202302054003045
दिनांक	04-02-2023
पंजीयन शुल्क ₹	18000
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	110000
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	33000
कुल योग	161300

202301054003036

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, JODHPUR-II
उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp A344325 ₹ 32500 # e-Gras Challan 71665189 ₹ 96300 # Stamp A344326 ₹ 32500

Endorsement of Execution

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.)

3,60,000/— अक्षरे तीन लाख साठ हजार रूपये जरिये चैक नम्बर 000132 AU Small Finance Bank दिनांक 1.2.2023 द्वारा विक्रेता अनिता आचार्य ने.

3,60,000/— अक्षरे तीन लाख साठ हजार रूपये जरिये चैक नम्बर 000130 AU Small Finance Bank दिनांक 1.2.2023 द्वारा विक्रेता श्रीमती मन्जू देवी ने.

10,80,000/— अक्षरे दस लाख अस्सी हजार रूपये जरिये चैक नम्बर 000131 AU Small Finance Bank दिनांक 1.2.2023 द्वारा विक्रेता श्रीमती प्रिया यादव ने.

18,00,000/— अक्षरे अठारह लाख रूपये.

इस प्रकार उपरोक्त अनुसार प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि रूपये अठारह लाख विक्रेता प्राप्त होना स्वीकार करती है । प्रतिफल की राशि में अब आप क्रेता से कोई रकम लेनी बकाया नहीं रही है ।

उक्त खसरा नम्बर 50/4 की भूमि में से उत्तर दिशा की रकबा 19 बिस्वा 12 बिस्वांशी भूमि विक्रेता ने इस दस्तावेज की रूह से आप क्रेता को विक्रय कर उस पर भौतिक, वास्तविक व कानूनी कब्जा आप क्रेता का करवा दिया है ।

3. कि उक्त भूमि विक्रेता ने आज से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को विक्रय, बंधक, भेंट, दान, बदल या अन्य किसी रूप में हस्तान्तरित नहीं की है और न ही ऐसा कोई इकरार ही मौजूदा है । उक्त भूमि पर विक्रेता ने कहीं से कोई किसी प्रकार का ऋण प्राप्त नहीं किया है और न ही उक्त भूमि कहीं पर किसी भी कार्यवाही में कुर्क ही की हुई है । उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है और न ही इसके विक्रय पर कोई

............5.

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री BIRMA RAM ACHARYA GPA HOLDER OF ANITA ACHARYA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHRI BHAGIRATH JI ACHARYA, व्यवसाय Businessजाति 0-BRAHMIN House No.:244, Colony: KANHIYA NAGAR, Area: SHIKARGARH, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 57 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SMT MANJU DEVI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHRI BIRMA RAM JI , व्यवसाय Housewifeजाति 0-BRAHMIN House No.:244, Colony: KANHIYA NAGAR, Area: SHIKARGARH, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 53 Signature :
3	श्री/श्रीमती/सुश्री SMT PRIYA YADAV, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHRI RAJKUMAR YADAV, व्यवसाय Businessजाति 0-AHIR House No.:28, Colony: KANHIYA NAGAR, Area: SHIKARGARH , City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 40 Signature :
4	श्री/श्रीमती/सुश्री HARSHVARDHAN SINGH , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHRI KARAN SINGH JI , व्यवसाय Businessजाति 0-RAJPUT House No.:00, Colony: UCHIYARDA, Area: UCHIYARDA, City: JODHPUR, Pin code: 342027, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 29 Signature :

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 1800000/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मैं से रू 1800000/- पूर्व में -------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री JAI SINGH , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHRI MALAM SINGH JI जाति RAJPUT Age: 47 Add: House No.:24-A, Colony: MOHAN NAGAR , Area: B J S COLONY, City: JODHPUR , Pin code: 342006, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN	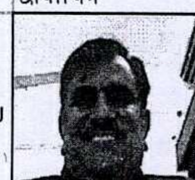		Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री D L RATHI , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ADVOCATE जाति MAHESHWARI Age: 68 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342006, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

202301054003036

किसी प्रकार की विधिक या अन्य रोक ही लगी हुई है। उक्त भूमि के संबंध में आवाप्ति की कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है अर्थात् उक्त भूमि हर प्रकार से पाक व साफ है, इस पर कोई चार्ज या भार नहीं है एवं विक्रेता को विक्रय करने का पूर्ण हक हासिल है ।

4. कि अब आज से उक्त खसरा नम्बर 50/4 की भूमि में से उत्तर दिशा की रकबा 19 बिस्वा 12 बिस्वांशी भूमि के एक मात्र मालिक खातेदार आप क्रेता एवं आपके उत्तराधिकारी होगें । विक्रेता या उसके उत्तराधिकारियों का अब उक्त 19 बिस्वा 12 बिस्वांशी भूमि से कोई वास्ता, सरोकार, बंट, दखल, हस्तक्षेप, अधिकार इत्यादि नहीं रहा है । विक्रेता के जो खातेदारी अधिकार है वे सभी आप क्रेता के होगें एवं आप क्रेता विक्रय सुदा उक्त 19 बिस्वा 12 बिस्वांशी भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग व उपभोग कर सकेंगे, उसका नियमन करवा सकेंगे, उसे हस्तान्तरण कर सकेंगे जिसमें विक्रेता या उसके उत्तराधिकारियों को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी । यदि भविष्य में उक्त भूमि के विक्रय करने संबंधी विक्रेता के अधिकार में किसी भी प्रकार की कमी के कारण उक्त विक्रय सुदा भूमि या उसका कोई भाग आप क्रेता के कब्जे से निकल जावें या आप क्रेता को कोई किसी प्रकार की क्षति उठानी पड़ी तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी व जवाबदारी विक्रेता की होगी एवं उसके लिये विक्रेता व उसके उत्तराधिकारी हर प्रकार से व्यक्तिगत व सम्पत्ति से उत्तरदायी रहेंगे ।

5. कि आप क्रेता इस दस्तावेज की रूह से उक्त खसरा नम्बर 50/4 की भूमि में से उत्तर दिशा की रकबा 19 बिस्वा 12 बिस्वांशी भूमि भूमि का म्युटेशन अपने नाम से भरवा सकेंगे व उक्त 19 बिस्वा 12 बिस्वांशी भूमि की तरमीम करवा सकेंगे जिसमें विक्रेता की पूर्ण सहमति है तथापि उक्त भूमि के म्युटेशन व तरमीम हेतु विक्रेता के बयानों या हस्ताक्षरों की आवश्यकता हुई तो विक्रेता सहर्ष उपस्थित होकर आप क्रेता के हक में बयान देकर हस्ताक्षर कर देगें ।

............6.

6. कि उक्त भूमि पर आज से पूर्व की यदि कोई सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी राशि, लगान या किसी भी वित्तीय संस्था/बैंक इत्यादि की कोई राशि बकाया हुई तो उसे अदा करने की जिम्मेवारी विक्रेता की होगी । भविष्य में नियमानुसार अदायगी की जिम्मेवारी आप क्रेता की रहेगी ।

7. कि विक्रेता ने उक्त भूमि के स्वामित्व से संबंधित निम्न दस्तावेज आप क्रेता को सुपुर्द कर दिये है :–

0 – बेचाननामा दिनांक 30.1.2009 की फोटो प्रति जो श्री मनोहरसिंह ने विक्रेता श्रीमती मन्जू देवी, श्रीमती रेखा तंवर, अनिता आचार्य, खुशबु तंवर व श्रीमती प्रिया यादव के हक में निष्पादित किया.

0 – हकतर्कनामा दिनांक 24.11.2016 की फोटो प्रति जो श्रीमती खुशबु तंवर व रेखा तेंवर ने विक्रेता प्रिया यादव के हक में निष्पादित किया.

0 – आम मुख्तयारनामा दिनांक 30.1.2023 की फोटो प्रति जो विक्रेता अनिता आचार्य ने अपने पिता श्री बिरमाराम आचार्य के हक में निष्पादित किया.

0 – जमाबन्दी की सत्य प्रतिलिपि.

0 – गिरदावरी की सत्य प्रतिलिपि.

0 – खसरा नक्शा की सत्य प्रतिलिपि.

उक्त दस्तावेज के अलावा अन्य कोई दस्तावेज विक्रेता के पास नहीं है। भविष्य में मिलेंगे तो आप क्रेता को सुपुर्द कर दिये जावेंगे अन्यथा आप क्रेता के हितों के विरूद्ध निष्प्रभावी व रद्द समझे जावेंगे।

8. कि इस विक्रय विलेख के निष्पादन व पंजीयन संबंधी समस्त खर्चा आप क्रेता के जिम्मे होने से स्टाम्प आप क्रेता के नाम से खरीद किये गये है, शेष मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क भी आप क्रेता ही अदा करेंगे ।

9. कि उक्त जोधपुर केन्द्र बिन्दु से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एवं मुख्य सड़क से दूर स्थित है । उक्त भूमि असिंचित भूमि है । इस प्रकार इस विक्रय की जा रही भूमि की बाजारू कीमत विक्रय विलेख में दर्शाये गये मूल्य से अधिक नहीं है जिस पर नियमानुसार मुद्रांक शुल्क पेश है ।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने राजी खुशी, स्वस्थचित्त व तन्दुरूस्ती की अवस्था में बिना नशे या दबाव के सोच समझकर निम्न साक्षीयों की मौजूदगी में अपने हस्ताक्षरों से निष्पादित कर दिया है जो सही व साक्षी रहें एवं वक्त जरूरत काम आवें। इति. दिनांक 04.2.2023.

Priya yadav

क्रेता

विक्रेता
निष्पादनकर्ता.

साख – 1

साख – 2

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 1800000 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 110000 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 18000, सरचार्ज राशि 33000 कुल रू 161000 रसीद संख्या 202302054003045 दिनांक 04-02-2023 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रू 110000 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202301054003036

उप पंजीयक, JODHPUR-IV

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

Registration Endorsement

आज दिनांक 04/02/2023 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 420 में
पृष्ठ संख्या 143 क्रम संख्या 202303054102420 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1679 के
पृष्ठ संख्या 725 से 744 पर चस्पा किया गया।

202301054003036

उप पंजीयक, JODHPUR-IV

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.) सत्यमेव जयते

<u>NOTE (U/S 39): Reason Defined Below</u>

नोट :–

अन्तर्गत नियम (39) – निष्पादनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अपंजीकृत/पंजीकृत आममुख्त्यारनामे/ खास मुख्त्यारनामे के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, चूंकि उप पंजीयक को दस्तावेज के टाईटल की वैधता जांचने का अधिकार नहीं होता है अतः निष्पादनकर्ता (आममुख्त्यार होल्डर/खास मुख्त्यार होल्डर) द्वारा सलंग्न शपथ–पत्र बाबत् आज दिनांक को प्रिंसीपल जिंदा है, आम मु0/खास मु. नामा निरस्त नहीं किया गया है, व प्रभावी है, भविष्य में होने वाले वाद –विवाद के लिए निष्पादनकर्ता स्वयं की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, के आधार पर दस्तावेज नोट अंकन कर पंजीबद्ध किया गया है।

उप पंजीयक JODHPUR (FOURTH)

उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-IV

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 05-02-2023 11:18 AM

Fee Receipt No	:	202302054003046	Receipt Date	:	04/02/2023
Name	:	HARSHVARDHAN SINGH ,	Document S. No.	:	202301054003037
Address	:	244 ,KANHIYA NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR			
Document Type	:	Sale Deed			
Face Value	:	₹ 2200000	Evaluated Value	:	₹ 2148140
Ord-Registration Fee	:	₹ 22000	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 39600	Stamp Duty	:	₹ 132000
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 193900**
			Total Amount	:	**₹ 193900**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
Stamp A344324 ₹ 32500 # Stamp A344323 ₹ 32500 # EGras Challan 21606176 ₹ 128900

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) सत्यमेव जयते जोधपुर (राज.)

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

344323

RATHI
Advocate
Raj High Court, Jodhpur

Advocate
Raj High Court, Jodhpur

।। श्री ।।

विक्रय – विलेख

विक्रय विलेख एक हम –

1. श्रीमती मन्जू देवी पत्नी श्री बिरमाराम जी जाति आचार्य ब्राहम्ण् आयु 53 वर्ष निवासी 244, कन्हैया नगर, शिकारगढ़, जोधपुर.
   AADHAR NO. [redacted] **8076** **PAN NO. AQIPD 7537 K**
2. श्रीमती प्रिया यादव पत्नी श्री राजकुमार यादव जाति अहीर आयु 40 वर्ष निवासी 28, कन्हैया नगर, शिकारगढ़, जोधपुर.
   AADHAR NO. [redacted] **5110 PAN NO. AAUPY 3023 H** – विक्रेतागण.

ब ह क

श्री हर्षवर्धनसिंह पुत्र श्री करणसिंह जी जाति राजपूत आयु 29 वर्ष निवासी ग्राम उचियारड़ा तहसील व जिला जोधपुर.

AADHAR NO. [redacted] **4390** **PAN NO. ECIPS 2219 P** – क्रेता.

के पक्ष में निम्न प्रकार से लिख दिया है :–

मंजु

Priya yadav

..........2.

नाम मुद्रांक विक्रेता कीर्ति राठी अनुज्ञा पत्र संख्या 07/2011, जोधपुर
रजि. क्रम संख्या 1074/1 दिनांक 4.2.2023 मुद्रांक वेन्डर क्रम संख्या 25000/-
मुद्रांक क्रेता का नाम हर्षवर्धनसिंह
पिता/पति का नाम श्री करणसिंह जी
पता ग्राम उम्मेदपुरा तहसील व जिला जोधपुर खरीदे हेतु सम्पत्ति
हस्ते क्रय की दशा में हस्ते का नाम पता दिनेश राठी एडवोकेट

Dinesh Rathi
क्रेता/हस्ते के हस्ताक्षर
Adv.

Kirti Rathi
मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर
शिवरोड, रातानाडा, जोधपुर

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे स्टॉक में 50,000/- के मुद्रा स्टाम्प नहीं होने से विभाजित 25000 रु. के टुकड़े दिये गये हैं। 50,000/-

Kirti Rathi
हस्ताक्षर
स्टाम्प विक्रेता, जोधपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार	
1 आधारभूत आधारभूत सुविधाओं हेतु (धारा 3-क) 10 % रुपये	5000
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु 20 % रुपये	10,000
हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर कीर्ति राठी लाइसेन्स नम्बर 07/2011 कुल योग	15,000/-

Kirti Rathi

उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

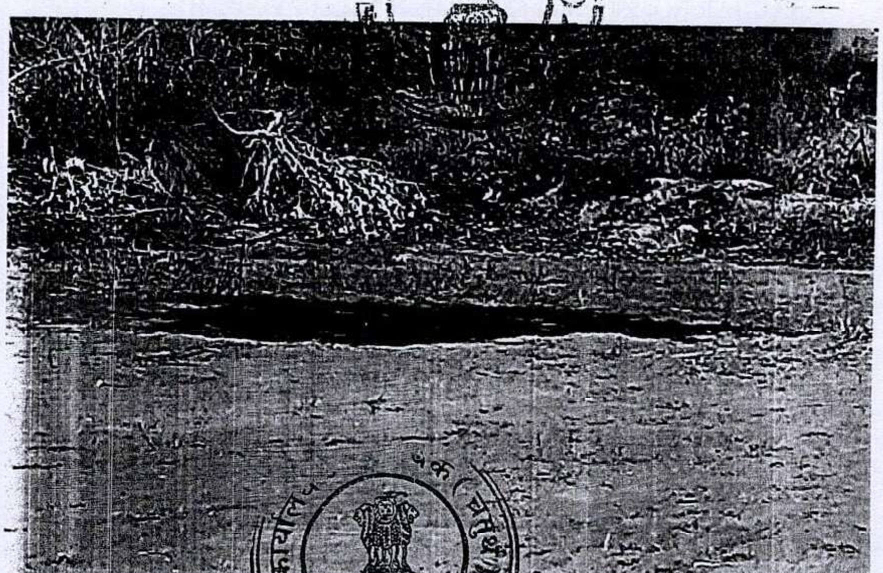

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) सत्यमेव जयते जोधपुर (राज.)

मंजु

Priya Yadav

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

A 344324

1. कि विक्रेता श्रीमती मन्जू देवी व श्रीमती प्रिया यादव के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 50/2 रकबा 8 बीघा किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम उचियारड़ा तहसील व जिला जोधपुर में स्थित है ।

उक्त खसरा नम्बर 50/2 की भूमि मूल खसरा नम्बर 50/1 का भाग है । खसरा नम्बर 50/1 की रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से रकबा 8 बीघा भूमि विक्रेता श्रीमती मन्जू देवी व श्रीमती रेखा तंवर ने संयुक्त रूप से दिनांक 25.8.2005 को श्री मनोहरसिंह पुत्र श्री मेगसिंह जी से खरीद की जिसका बेचाननामा उप पंजीयक (द्वितीय) जोधपुर के कार्यालय में दिनांक 25.8.2005 को पुस्तक संख्या प्रथम जिल्द संख्या 454 पृष्ठ संख्या 121 क्रम संख्या 2005005822 पर पंजीबद्ध किया हुआ है । उक्त भूमि खरीद कर विक्रेता श्रीमती मन्जू देवी व श्रीमती रेखा तंवर ने म्युटेशन अपने नाम से भरवाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जिस पर उक्त 8 बीघा भूमि के नये खसरा नम्बर 50/2 अंकित किये गये तत्पश्चात् श्रीमती रेखा तंवर के आम मुख्तयार सचिन तंवर से उनके 1/2 हिस्से की रकबा 4 बीघा भूमि विक्रेता श्रीमती प्रिया यादव ने खरीद की जिसका बेचाननामा

मन्जु

Priya Yadav

............3.

नाम मुद्रांक विक्रेता कीर्ति राठी अनुज्ञा पत्र संख्या 07/2011, जोधपुर

रजि. क्रम संख्या 1074/2 दिनांक 4.2.2023 मुद्रांक वेल्यु व क्रम संख्या 25000/-

मुद्रांक क्रेता का नाम हर्षवर्धन सिंह

पिता/पति का नाम श्री करणसिंह जी

पता ग्राम उम्मेदारड़ा तहसील व जिला जोधपुर खरीद हेतु सम्पत्ति

हस्ते क्रय की दशा में हस्ते का नाम पता दिनेश राठी एडवोकेट

Dinesh Rathi, Adv.

क्रेता/हस्ते के हस्ताक्षर

Kirti Rathi

मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर

शिवरोड, रातानाडा, जोधपुर

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.)
सत्यमेव जयते

उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर के कार्यालय में दिनांक 8.9.2017 को पुस्तक संख्या प्रथम जिल्द संख्या 899 पृष्ठ संख्या 181 क्रम संख्या 201703053106717 पर पंजीबद्ध किया हुआ है । इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 50/2 की भूमि में विक्रेता श्रीमती मन्जू देवी का 1/2 हिस्सा व श्रीमती प्रिया यादव का 1/2 हिस्सा है, जिस पर विक्रेता बहैसियत खातेदार काबिज है जो नई जमाबन्दी संख्या 36 व पुरानी जमाबन्दी संख्या 80 से स्पष्ट है । उक्त खसरा नम्बर 50/2 की भूमि पर विक्रेतागण का स्वतंत्र रूप से कब्जा चला आ रहा है जिसगें विक्रेतागण के अलावा अन्य किसी का कोई हक, हिस्सा नहीं है एवं उक्त खसरा नम्बर 50/2 की भूमि विक्रेतागण को विक्रय करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है ।

2. कि विक्रेतागण को रकम की आवश्यकता होने से विक्रेतागण ने उक्त खसरा नम्बर 50/2 की भूमि में से उत्तर दिशा की रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा 11 बिस्वांशी भूमि आप क्रेता को रूपये 22,00,000/— अक्षरे बाईस लाख रूपये में विक्रय करना तय कर विक्रय कर दी है एवं प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि रूपये 22,00,000/— अक्षरे बाईस लाख रूपये निम्न प्रकार प्राप्त कर लिये है :—

मंजु

11,00,000/— अक्षरे ग्यारह लाख रूपये जरिये चैक नम्बर 000128
AU Small Finance Bank दिनांक 1.2.2023 द्वारा
विक्रेता श्रीमती मन्जू देवी ने.

11,00,000/— अक्षरे ग्यारह लाख रूपये जरिये चैक नम्बर 000129
AU Small Finance Bank दिनांक 1.2.2023 द्वारा
विक्रेता श्रीमती प्रिया यादव ने.

22,00,000/— अक्षरे बाईस लाख रूपये.

इस प्रकार उपरोक्त अनुसार प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि रूपये बाईस लाख विक्रेतागण प्राप्त होना स्वीकार करती है । प्रतिफल की राशि में अब आप क्रेता से कोई रकम लेनी बकाया नहीं रही है ।

Priya yadav

............4.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 04 माह 02 सन् 2023 को 10:04 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SMT MANJU DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHRI BIRMA RAM JI
उम्र 53 वर्ष, जाति 0-BRAHMIN , व्यवसाय Housewife
निवासी House No.:244, Colony: KANHIYA NAGAR, Area: SHIKARGARH, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202301054003037

Sale Deed (Conveyance Deed)

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-IV
उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202302054003046
दिनांक	04-02-2023
पंजीयन शुल्क ₹	22000
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	132000
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	39600
कुल योग	193900

202301054003037

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, JODHPUR-IV
उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

Stamp A344324 ₹ 32500 # Stamp A344323 ₹ 32500 # e-Gras Challan 71665176 ₹ 128900

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.)

उक्त खसरा नम्बर 50/2 की भूमि में से उत्तर दिशा की रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा 11 बिस्वांशी भूमि विक्रेतागण ने इस दस्तावेज की रूह से आप क्रेता को विक्रय कर उस पर भौतिक, वास्तविक व कानूनी कब्जा आप क्रेता का करवा दिया है ।

3. कि उक्त भूमि विक्रेतागण ने आज से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को विक्रय, बंधक, भेंट, दान, बदल या अन्य किसी रूप में हस्तान्तरित नहीं की है और न ही ऐसा कोई इकरार ही मौजूदा है । उक्त भूगि पर विक्रेतागण ने कहीं से कोई किसी प्रकार का ऋृण प्राप्त नहीं किया है और न ही उक्त भूमि कहीं पर किसी भी कार्यवाही में कुर्क ही की हुई है । उक्त भूमि के सम्बन्ध गें किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है और न ही इसके विक्रय पर कोई किसी प्रकार की विधिक या अन्य रोक ही लगी हुई है । उक्त भूमि के संबंध में आवाप्ति की कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है अर्थात् उक्त भूमि हर प्रकार से पाक व साफ है, इस पर कोई चार्ज या भार नहीं है एवं विक्रेतागण को विक्रय करने का पूर्ण हक हासिल है ।

मन्जु

4. कि अब आज से उक्त खसरा नम्बर 50/2 की भूमि में से उत्तर दिशा की रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा 11 बिस्वांशी भूमि के एक मात्र मालिक खातेदार आप क्रेता एवं आपके उत्तराधिकारी होगें । विक्रेतागण या उनके उत्तराधिकारियों का अब उक्त 1 बीघा 3 बिस्वा 11 बिस्वांशी भूमि से कोई वास्ता, सरोकार, बंट, दखल, हस्तक्षेप, अधिकार इत्यादि नहीं रहा है । विक्रेतागण के जो खातेदारी अधिकार है वे सभी आप क्रेता के होगें एवं आप क्रेता विक्रय सुदा उक्त 1 बीघा 3 बिस्वा 11 बिस्वांशी भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग व उपभोग कर सकेंगे, उसका नियमन करवा सकेंगे, उसे हस्तान्तरण कर सकेंगे जिसमें विक्रेतागण या उनके उत्तराधिकारियों को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी । यदि भविष्य में उक्त भूमि के विक्रय करने संबंधी विक्रेतागण के अधिकार में किसी भी प्रकार की कमी के कारण उक्त विक्रय सुदा भूमि या उसका कोई भाग आप क्रेता के कब्जे से निकल जावें या आप क्रेता

Priya yadav

............5.

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री SMT MANJU DEVI , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHRI BIRMA RAM JI , व्यवसाय Housewifeजाति 0-BRAHMIN House No.:244, Colony: KANHIYA NAGAR, Area: SHIKARGARH, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 53 Signature : मंजू
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SMT PRIYA YADAV, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHRI RAJKUMAR JI YADAV, व्यवसाय Businessजाति 0-AHIR House No.:28, Colony: KANHIYA NAGAR, Area: SHIKARGARH, City: JODHPUR , Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 40 Signature : Priya yadav
3	श्री/श्रीमती/सुश्री HARSHVARDHAN SINGH , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHRI KARAN SINGH JI , व्यवसाय Businessजाति 0-RAJPUT House No.:00, Colony: UCHIYARDA, Area: UCHIYARDA, City: JODHPUR, Pin code: 342027, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 29 Signature :

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 2200000/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 2200000/- पूर्व में -------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री JAI SINGH , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHRI MALAM SINGH JI जाति RAJPUT Age: 47 Add: House No.:24-A, Colony: MOHAN NAGAR, Area: B J S COLONY, City: JODHPUR , Pin code: 342006, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री D L RATHI , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ADVOCATE जाति MAHESHWARI Age: 68 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342006, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

202301054003037

उप पंजीयक, JODHPUR-IV

उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

Sale Deed (Conveyance Deed)

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) सत्यमेव जयते जोधपुर (राज.)

को कोई किसी प्रकार की क्षति उठानी पड़ी तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी व जवाबदारी विक्रेतागण की होगी एवं उसके लिये विक्रेतागण व उनके उत्तराधिकारी हर प्रकार से व्यक्तिगत व सम्पत्ति से उत्तरदायी रहेंगे ।

5. कि आप क्रेता इस दस्तावेज की रूह से उक्त खसरा नम्बर 50/2 की भूमि में से उत्तर दिशा की रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा 11 बिस्वांशी भूमि का म्युटेशन अपने नाम से भरवा सकेंगे व उक्त 1 बीघा 3 बिस्वा 11 बिस्वांशी भूमि की तरमीम करवा सकेंगे जिसमें विक्रेतागण की पूर्ण सहमति है तथापि उक्त भूमि के म्युटेशन व तरमीम हेतु विक्रेतागण के बयानों या हस्ताक्षरों की आवश्यकता हुई तो विक्रेतागण सहर्ष उपस्थित होकर आप क्रेता के हक में बयान देकर हस्ताक्षर कर देगें ।

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) सत्यमेव जयते जोधपुर (रा.अ.)

6. कि उक्त भूमि पर आज से पूर्व की यदि कोई सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी राशि, लगान या किसी भी वित्तीय संस्था/बैंक इत्यादि की कोई राशि बकाया हुई तो उसे अदा करने की जिम्मेवारी विक्रेतागण की होगी । भविष्य में नियमानुसार अदायगी की जिम्मेवारी आप क्रेता की रहेगी ।

मंजु

7. कि विक्रेतागण ने उक्त भूमि के स्वामित्व से संबंधित निम्न दस्तावेज आप क्रेता को सुपुर्द कर दिये है :–

0 – बेचाननामा दिनांक 8.9.2017 की फोटो प्रति जो श्रीमती रेखा तंवर के आम मुख्तयार सचिन तंवर ने विक्रेता प्रिया यादव के हक में निष्पादित किया.

0 – आम मुख्तयारनामा दिनांक 7.9.2017 की फोटो प्रति श्रीमती रेखा तँवर ने अपने पुत्र सचिन तँवर के हक में निष्पादित किया.

0 – बेचाननामा दिनांक 25.8.2005 की फोटो प्रति जो श्री मनोहरसिंह ने विक्रेता श्रीमती मन्जू देवी व श्रीमती रेखा तंवर के हक में निष्पादित किया.

0 – जमाबन्दी की सत्य प्रतिलिपि.

0 – गिरदावरी की सत्य प्रतिलिपि.

0 – खसरा नक्शा की सत्य प्रतिलिपि.

............6.

Priya yadav

उक्त दस्तावेज के अलावा अन्य कोई दस्तावेज विक्रेतागण के पास नहीं है। भविष्य में मिलेंगे तो आप क्रेता को सुपुर्द कर दिये जावेंगे अन्यथा आप क्रेता के हितों के विरूद्ध निष्प्रभावी व रद्द समझे जावेंगे।

8. कि इस विक्रय विलेख के निष्पादन व पंजीयन संबंधी समस्त खर्चा आप क्रेता के जिम्मे होने से स्टाम्प आप क्रेता के नाम से खरीद किये गये है, शेष मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क भी आप क्रेता ही अदा करेंगे ।

9. कि उक्त जोधपुर केन्द्र बिन्दु से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एवं मुख्य सड़क से दूर स्थित है । उक्त भूमि असिंचित भूमि है । इस प्रकार इस विक्रय की जा रही भूमि की बाजारू कीमत विक्रय विलेख में दर्शाये गये मूल्य से अधिक नहीं है जिस पर नियमानुसार मुद्रांक शुल्क पेश है ।

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) सत्यमेव जयते जोधपुर (राज.)

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेतागण ने राजी खुशी, स्वस्थचित्त व तन्दुरूस्ती की अवस्था में बिना नशे या दबाव के सोच समझकर निम्न साक्षीयों की मौजूदगी में अपने हस्ताक्षरों से निष्पादित कर दिया है जो सही व साक्षी रहें एवं वक्त जरूरत काम आवें। इति. दिनांक 04.2.2023.

Priyayadav मंजु

क्रेता विक्रेतागण निष्पादनकर्ता.

साख – 1 बिरमा राम आचार्य S/o श्री भागीरथ जी निवासी 244, कन्हैयानगर, शिकारगढ़, बीरमाराम जोधपुर.

साख – 2 जगदीश S/o श्री माल सिंह जी बी. जे. एस. कॉलोनी जोधपुर

[illegible]

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 2200000 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 132000 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 22000, सरचार्ज राशि 39600 कुल रू 193600 रसीद संख्या 202302054003046 दिनांक 04-02-2023 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रू 132000 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202301054003037

उप पंजीयक, JODHPUR-IV

उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

Sale Deed (Conveyance Deed)

Registration Endorsement

आज दिनांक 04/02/2023 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 420 में
पृष्ठ संख्या 144 क्रम संख्या 202303054102421 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1679 के
पृष्ठ संख्या 745 से 764 पर चस्पा किया गया।

202301054003037

उप पंजीयक, JODHPUR-IV

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) सत्यमेव जयते जोधपुर (राज.)

SPECIAL ADHESIVE

NOTARY

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अंतर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार

आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3–क)–10% रुपये

गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3–ख)–30% रुपये

आम मुख्त्यारनामा

आम मुख्त्यारनामा का दस्तावेज एक लिख देते हैं हमः–

1– **श्रीमती उदय कंवर पत्नी स्व॰ मनोहर सिंह,** उम्र 58 वर्ष,

आधार संख्या [redacted] 8957

2– **बलवीर सिंह पुत्र स्व॰ मनोहर सिंह,** उम्र 37 वर्ष, जातियान राजपूत, निवासीगण राजपूतों का बास, ग्राम उचियारड़ा, तहसील व जिला जोधपुर में रहने वाले (जिन्हें आगे इस दस्तावेज में प्रथम पक्षकार के नाम से सम्बोधित किये जायेगें), नेः–

आधार संख्या [redacted] 8175

/ / बहक / /

आप **श्री हनुमान प्रताप सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह,** उम्र 28 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देवलिया, तहसील व जिला जोधपुर (राज॰) में रहने वाला (जिसे आगे इस दस्तावेज में द्वितीय पक्षकार अथवा अधिकारग्रहिता के नाम सम्बोधित किया जायेगा), के हक मे निम्न प्रकार से तहरीर व तकमील कर देते हैं किः--

NOTARY JODHPUR

यह है कि हम प्रथम पक्षकार–निष्पादनकर्ता खातेदारी की कब्जाकाश्तसुदा, मालिकाना हक व स्वामित्व की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 50/1 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम उचियारड़ा, तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है, जो राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 की खैवट खतौनी संख्या नई 36 व पुरानी 80 में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 06.10.20212 से स्पष्ट है।

यह है कि पूर्व में खसरा संख्या 50 की रकबा 77 बीघा 16 बिस्वा जबरसिंह पि. मेगसिंह, मनोहर सिंह पि. मेगसिंह, जाति राजपूत, सा. देह खातेदार के नाम दर्ज थी। खातेदार जबरसिंह व मनोहर सिंह के मध्य बंटवाड़ा होने पर नामान्तरकरण संख्या 150 के तहत खसरा संख्या 50 रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा जबरसिंह के नाम व खसरा संख्या 50/1 रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा मनोहर सिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। खातेदार मनोहरसिंह द्वारा खसरा संख्या 50/1 रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा में से रकबा 8 बीघा भूमि का बेचान श्रीमती मंजूदेवी को कर दिया। तत्पश्चात् मनोहरसिंह के हिस्से में रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा भूमि शेष रही। तत्पश्चात् खातेदार मनोहर सिंह का देहान्त हो गया तथा उनके देहान्त के पश्चात् विरासत नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 06.10.2012 के तहत मनोहर सिंह फौत के स्थान पर उदय कंवर बेवा मनोहर सिंह, बलवीर सिंह पुत्र मनोहर सिंह, संतोष कंवर पुत्री मनोहर सिंह राजपूत, सा. देह खातेदार दर्ज किया गया। तत्पश्चात् उदय कंवर वगैरा खसरा संख्या 50/1 में से रकबा 7 बीघा भूमि का बेचान श्रीमती मंजू देवी को कर दिया। इस प्रकार हम प्रथम पक्षकार के हिस्से में वर्तमान में रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा भूमि ही शेष रही है।

यह है कि इस प्रकार हम प्रथम पक्षकार अपनी खातेदारी की कृषि भूमि के आज दिन मालिक काबिज स्वामी है, जिसमें हम प्रथम पक्षकार एवं हमारी बहिन/पुत्री संतोष कंवर के अलावा अन्य किसी भी रिश्तेदारान् का उक्त भूमि में कोई हक, हिस्सा, बंट, दखल, वास्ता, सरोकार, अधिकार आदि नही है और जिसे हर प्रकार से उपयोग, उपभोग व मुन्तकिल आदि करने का कानूनी हक व अधिकार हम प्रथम पक्षकार को हासिल है। अपने इन्हीं कानूनी हक व अधिकारो का उपयोग करते हुए हम प्रथम पक्षकार द्वारा उक्त खसरा संख्या 50/1 की रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा भूमि में हमारे हिस्से की भूमि में से **रकबा 16 (सोलह) बिस्वा 6 (छः) बिस्वांशी कृषि भूमि** के बाबत आप द्वितीय पक्षकार को अपना आम मुख्त्यार नियुक्त करती हूं। जिसकी स्थिति व नाप की विगत निम्न प्रकार है:–

NOTARY JODHPUR

स्थिति :– उपरोक्त कृषि भूमि वाके ग्राम उचियारड़ा, तहसील व जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 50/1 में स्थित है।

पड़ौसः–		भुजा नापः–
उत्तर में	:– अन्य खसरे की भूमि है।	177'3"
दक्षिण में	:– इसी खसरे की भूमि है।	159'9"
पूरब में	:– खसरा सं. 50/2 की भूमि है।	95'5"
पश्चिम में	:– इसी खसरे की भूमि है।	80'1"

नापः– रकबा 16 बिस्वा 6 बिस्वांशी कृषि भूमि।

यह है कि हम प्रथम पक्षकार अपने अन्य दीगर कार्यों में व्यस्त रहते हैं तथा उक्त कृषि भूमि जो ग्राम सोढेर की ढ़ाणी, तहसील व जिला जोधपुर में स्थित है, के संबंध में तमाम कार्य एवं कार्यवाहियां करने में असमर्थ हैं इसलिए आप द्वितीय पक्षकार **जो विश्वनीय व्यक्ति है,** को अपना आम मुख्त्यार नियुक्त कर निम्नांकित अधिकार प्रदान करते हैं किः–

यह है कि प्रथम पक्षकार के मुख्त्यार मजकुर को उक्त कृषि भूमि के मुतलिक हक हकूकों को बेचान करने का, इकरार करने का, एडवांस लेने का, रसीद देने का, बेचाननामा तहरीर व तकमील कर पंजीयन करवाने का अथवा वो कहे उस व्यक्ति के हक में एक हिस्से में अथवा एक से अधिक हिस्सो में बेचाननामा/नामें तहरीर व तकमील कर पंजीयन करवाने का वास्ते पंजीयन उप–पंजीयक अथवा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का, निष्पादन स्वीकार करने का, प्रतिफल रोकडे/चैक से प्राप्त हो जाना स्वीकार करने का, उसके लिए हर प्रकार का प्रार्थना पत्र, घोषणा पत्र आदि देने का, हस्ताक्षर करने का, तस्दीक करने का अथवा प्रथम पक्ष ने भी किसी से बेचान इकरार कर लिया है तो उसका बेचाननामा को आप अपने हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशान कर पंजीबद्ध करवाने का यानि बेचान के मुतलिक कुल व कार आमद तौर पर कार्यवाही करने का अधिकार रहेगा।

यह है कि हमार आम मुख्त्यार उपरोक्त कृषि भूमि में आने–जाने के लिए रास्ता आदि छोड़कर प्लानिंग बना सकेगा, उक्त भूमि में मुटाम्प लगा सकेगा, बिजली पोल लगवा सकेगा, भूमि के चारो ओर बाउण्ड्रीवाल बनवा सकेगा, प्लानिंग का एक साथ या अलग–अलग भूखण्डों के रूप में बेचान कर सकेगा। उक्त कृषि भूमि का एक साथ या अलग–अलग टुकड़ो में संबंधित विभाग से पट्टा हासिल कर सकेगा, पट्टा पंजीयन कार्यालय में पंजीबद्ध करवा सकेगा, जिस बाबत् मुझ प्रथम पक्षकार को

उपप्रकरण R.T.I.

किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नही होगा तथा वे तमाम कार्यवाहियां जो मेरे आम मुख्त्यार द्वारा की गई है वे सभी मेरे द्वारा की हुई मानी व समझी जायेगी।

यह है कि प्रथम पक्षकार के मुख्त्यार मजकुर को आवश्कतानुसार किसी भी वकील, चारटर्ड एकाउन्टेन्ट, कानूनी सलाहकार, पैरोकार इत्यादि मुकरर करने का अधिकार होगा।

यह है कि प्रथम पक्षकार के मुख्त्यार मजकुर को उक्त कृषि भूमि के मुतलिक किसी भी महकमा, विभाग, कार्यालय, ओफिस, न्यायालय आदि से हर प्रकार की स्वीकृति, अनुज्ञा, सहमति व प्रमाण पत्र आदि हासिल करने का अधिकार रहेगा, चाहे वो राज्य कानून के तहत आवश्यक हो अथवा केन्द्रीय कानून के तहत।

यह है कि हमारा आम मुख्त्यार उपरोक्त कृषि भूमि के बाबत तमाम सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी विभाग, कार्यालय, संस्था जैसे नगर निगम जोधपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, बैंक, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, तहसील, कलेक्ट्रेट इत्यादि समस्त विभागों में आवश्यक कार्यवाहियां अपने हस्ताक्षरों से स्वयं उपस्थित होकर कर सकेगा।

NOTARY LACHHEE RAM PARIHAR GOVT. OF INDIA

यह है कि प्रथम पक्षकार के मुख्त्यार मजकुर को उक्त कृषि भूमि के मुतलिक हर प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने का, दावा, अपील, निगरानी, नजरसानी, रिव्यु, रिट उजरदारी, जवाबदावा, अपील दर अपील, जवाबुल जवाब, नोटिस देने का, नोटिस प्राप्त करने का, शहादत, सबुत, साक्ष्य प्रस्तुत करने का, दस्तावेज प्रस्तुत करने का, दस्तावेज पुनः प्राप्त करने का, किसी भी मामले में दस्तरबार होने का, राजीनामा करने का, उसके लिए हर प्रकार का प्रार्थना पत्र, शपथपत्र, बोण्ड, डिक्लेरेशन घोषणा पत्र, स्टेटमेंट, अण्डरटेकिंग, रिटर्न, नक्शा, इत्यादि प्रस्तुत करने का, हस्ताक्षर करने व तस्दीक करने का यानि तमाम प्रकार की कानूनी कार्यवाहीयो को उच्च से उच्चतम क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय में करने का अधिकार रहेगा।

यह है कि मेरा आम मुखत्यार उपरोक्त कृषि भूमि को यदि किसी सरकारी, गैर सरकारी महकमें आदि में यदि अवाप्त/कुर्क किया जाता है तो ऐसी सूरत में उक्त अवाप्ति/कुर्की के खिलाफ मेरी ओर से कार्यवाही उक्त भूमि को अवाप्ति/कुर्की मुक्त करवा सकेगा या अवाप्त होने की स्थिति में मेरी ओर से मुआवजा प्राप्त कर सकेगा।

यह है कि हमारा आम मुख्त्यार को उपरोक्त कृषि भूमि बाबत वे सभी अधिकार हासिल होगें जो मुझे हासिल है चाहे उसका स्पष्ट खुलासा इस आम मुख्त्यारनामा में न भी किया गया हो तथा मेरे आम मुख्त्यार द्वारा किया गया प्रत्येक

उपलब्ध R.T.I.

NOTARY JODHPUR

कार्य, हस्ताक्षर व उपस्थिति हमारे स्वंय की माने जावेगे तथा जिससे हम पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे।

लिहाजा यह आम मुख्त्यार नामा हमनें अपनी राजी खुशी, अक्ल शिआमी, बिना नशे पते, तन्दुरुस्ती की हालत में बगैर किसी दबाव के अच्छी तरह सोच समझकर तहरीर व तकमील कर लिख दिया है जो सही व सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें। इति दिनांक – 20/01/2023

NOTARY GOVT. OF INDIA

IDENTIFIED BY

R.J.T

अंगुष्ठ निशान क्रेता

निष्पादनकर्ता

साख 1 में ______ पुत्र ______ जाति ______ में रहने

निवासी– ______

वाले ने निष्पादनकर्ता के कहने पर डाली है, जो सही है।

IDENTIFIED BY

साख 2 में ______ पुत्र ______ जाति ______ में रहने

निवासी– 87 ______

वाले ने निष्पादनकर्ता के कहने पर डाली है, जो सही है।

L.T.I. & R.T.I.

Signature

Identified by

ATTESTED

20/01/2023

NOTARY JODHPUR

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-IV

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 04-02-2023 10:06 AM

Fee Receipt No	:	202302054003044	Receipt Date	:	04/02/2023
Name	:	HARSHVARDHAN SINGH ,	Document S. No.	:	202301054003035
Address	:	00 ,UCHIYARDA ,JODHPUR ,JODHPUR			
Document Type	:	Sale Deed			
Face Value	:	₹ 1500000	Evaluated Value	:	₹ 1486823
Ord-Registration Fee	:	₹ 15000	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 29250	Stamp Duty	:	₹ 97500
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 142050
			Total Amount	:	₹ 142050

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 71665145 ₹ 77050 # Stamp A344322 ₹ 32500 # Stamp A344321 ₹ 32500

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) सत्यमेव जयते जोधपुर (राज.)

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

344321

Advocate
Raj High Court, Jodhpur

Advocate
Raj High Court, Jodhpur

|| श्री ||

<u>विक्रय – विलेख</u>

विक्रय विलेख एक मैं हनुमानप्रताप सिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंह जी जाति राजपूत आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम देवलिया तहसील व जिला जोधपुर बहैसियत आम मुख्तयार (1) श्रीमती उदय कंवर पत्नी स्व. श्री मनोहरसिंह जी जाति राजपूत आयु 58 वर्ष निवासी ग्राम उचियारड़ा तहसील व जिला जोधपुर (2) बलवीरसिंह पुत्र स्व. श्री मनोहरसिंह जी जाति राजपूत आयु 58 वर्ष निवासी ग्राम उचियारड़ा तहसील व जिला जोधपुर. **AADHAR NO.** [redacted]**1339** **PAN NO. FNEPS 4868 E**

– विक्रेता.

<u>ब ह क</u>

श्री हर्षवर्धनसिंह पुत्र श्री करणसिंह जी जाति राजपूत आयु 29 वर्ष निवासी ग्राम उचियारड़ा तहसील व जिला जोधपुर.

AADHAR NO. [redacted] **4390** **PAN NO. ECIPS 2219 P** – क्रेता.

के पक्ष में निम्न प्रकार से लिख दिया है :–

..........2.

नाम मुद्रांक विक्रेता कीर्दि राठी अनुज्ञा पत्र संख्या 07/2011, जोधपुर
रजि. क्रम संख्या 1073/1 दिनांक 4.2.2023
मुद्रांक क्रेता का नाम हर्षवर्धनसिंह .... हेतु व क्रम संख्या 25000/-
पिता/पति का नाम श्री करणसिंह जी
पता ग्राम झुंझिया रहा तहसील व जिला जोधपुर
हस्ते क्रय की दशा में हस्ते का नाम पता दिनेश राठी एडवोकेट खरीदने हेतु सम्पत्ति

क्रेता/हस्ते के हस्ताक्षर

मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर
शिवरोड, रातानाडा, जोधपुर

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे स्टॉक में 50,000 रू. का एक स्टाम्प नहीं होने से लिए 25000 रू. के 50000/ टुकड़े दिये गये हैं।

हस्ताक्षर
स्टाम्प विक्रेता, जोधपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार	
1 आधारभूत आवश्यक सुविधाओं हेतु (धारा 3-क)	5000
2. गौ और उसकी संतति के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु	10,000
हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता कीर्ति राठी लाईसेन्स संख्या 07/2011	कुल योग 15000

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

A 344322

1. कि विक्रेता श्रीमती उदय कंवर व बलवीरसिंह के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 50/1 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम उचियारड़ा तहसील व जिला जोधपुर में स्थित है ।

उक्त खसरा नम्बर 50/1 की रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा भूमि पूर्व में विक्रेतागण के पति/पिता श्री मनोहरसिंह पुत्र श्री मेगसिंह जी के खातेदारी की थी । श्री मनोहरसिंह जी ने अपने जीवनकाल में उक्त खसरा नम्बर 50/1 की भूमि में से रकबा 15 बीघा भूमि दो अलग–अलग बेचाननामों द्वारा विक्रय कर दी थी तथा उक्त खसरा नम्बर 50/1 की रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा भूमि विक्रेतागण के पति/पिता श्री मनोहरसिंह जी के शेष रही । श्री मनोहरसिंह जी के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि के फौतगी का म्युटेशन उनकी पत्नी विक्रेता श्रीमती उदय कंवर व पुत्र बलवीरसिंह व पुत्री सन्तोष कंवर के नाम से भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया जिस पर विक्रेता बहैसियत संयुक्त खातेदार काबिज है जो नई जमाबन्दी संख्या 36 व पुरानी जमाबन्दी संख्या 80 से स्पष्ट है । उक्त खसरा नम्बर 50/1 की भूमि पर विक्रेता का संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है

..........3.

नाम मुद्रांक विक्रेता कीर्ति राठी अनुज्ञा पत्र संख्या 07/2011, जोधपुर

रजि. क्रम संख्या 1073/2 दिनांक 4.2.2023 मुद्रांक तेजु व क्रम संख्या. 25000

मुद्रांक क्रेता का नाम हर्षवर्धन सिंह

पिता/पति का नाम श्री करणसिंह जी

पता ग्राम अधिथारड़ा तहसील व जिला जोधपुर खरीदने सम्पत्ति

हस्ते क्रय की दशा में हस्ते का नाम पता दिनेश राठी एडवोकेट

क्रेता/हस्ते के हस्ताक्षर

Adv.

Kirti Rathi

मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर

शिवरोड, रातानाडा, जोधपुर

जिसमें अन्य किसी का कोई हक, हिस्सा नहीं है एवं उक्त खसरा नम्बर 50/1 की भूमि में स्थित विक्रेता को अपने हिस्से की भूमि विक्रय करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है । विक्रेता श्रीमती उदय कंवर व बलवीरसिंह ने अपने संयुक्त खातेदारी की उक्त खसरा नम्बर 50/1 की भूमि में से उत्तर दिशा की रकबा 16 बिस्वा 6 बिस्वांशी भूमि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही करने, उसे बेचान करने, प्रतिफल की राशि प्राप्त करने, बेचाननामा निष्पादित कर रजिस्ट्री करवाने हेतु एक आम मुख्तयारनामा दिनांक 20.1.2023 को मुझ हनुमानप्रतापसिंह के हक में निष्पादित किया जो नोटेरी पब्लिक, जोधपुर से तस्दीक सुदा है एवं आज भी प्रभाव में है जिसमें दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हनुमानप्रतापसिंह बहैसियत आम मुख्तयार विक्रेता श्रीमती उदयकंवर व बलवीरसिंह के यह विक्रय विलेख आप क्रेता के हक में निष्पादित कर रहा है ।

2. कि विक्रेता को रकम की आवश्यकता होने से विक्रेता ने उक्त खसरा नम्बर 50/1 की भूमि में से उत्तर दिशा की रकबा 16 बिस्वा 6 बिस्वांशी भूमि आप क्रेता को रूपये 15,00,000/— अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये में विक्रय करना तय कर विक्रय कर दी है एवं प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि रूपये 15,00,000/— अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये जरिये चैक नम्बर 000133 AU Small Finance Bank दिनांक 1.2.2023 द्वारा आप क्रेता से प्राप्त कर लिये है । प्रतिफल की राशि में अब आप क्रेता से कोई रकम लेनी बकाया नहीं रही है ।

उक्त खसरा नम्बर 50/1 की भूमि में से उत्तर दिशा की रकबा 16 बिस्वा 6 बिस्वांशी भूमि विक्रेता ने इस दस्तावेज की रूह से आप क्रेता को विक्रय कर उस पर भौतिक, वास्तविक व कानूनी कब्जा आप क्रेता का करवा दिया है ।

..........4.

Presentation Endorsement

आज दिनांक 04 माह 02 सन् 2023 को 09:59 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री HANUMAN PRATAP SINGH GPA HOLDER OF SMT UDAI KANWAR AND BALVEER SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHRI ISHWAR SINGH JI
उम्र 28 वर्ष, जाति 0-RAJPUT, व्यवसाय Business
निवासी House No.:00, Colony: DEVLIYA, Area: JODHPUR, City: JODHPUR, Pin code: 342027, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202301054003035
Sale Deed (Conveyance Deed)

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-IV
उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202302054003044
दिनांक	04-02-2023
पंजीयन शुल्क ₹	15000
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	97500
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	29250
कुल योग	142050

202301054003035
Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, JODHPUR-IV
उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 71665145 ₹ 77050 # Stamp A344322 ₹ 32500 # Stamp A344321 ₹ 32500

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.)

3. कि उक्त भूमि विक्रेता ने आज से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को विक्रय, बंधक, भेंट, दान, बदल या अन्य किसी रूप में हस्तान्तरित नहीं की है और न ही ऐसा कोई इकरार ही मौजूदा है । उक्त भूमि पर विक्रेता ने कहीं से कोई किसी प्रकार का ऋण प्राप्त नहीं किया है और न ही उक्त भूमि कहीं पर किसी भी कार्यवाही में कुर्क ही की हुई है । उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है और न ही इसके विक्रय पर कोई किसी प्रकार की विधिक या अन्य रोक ही लगी हुई है। उक्त भूमि के संबंध में आवाप्ति की कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है अर्थात् उक्त भूमि हर प्रकार से पाक व साफ है, इस पर कोई चार्ज या भार नहीं है एवं विक्रेता को विक्रय करने का पूर्ण हक हासिल है ।

4. कि अब आज से उक्त खसरा नम्बर 50/1 की भूमि में से उत्तर दिशा की रकबा 16 बिस्वा 6 बिस्वांशी भूमि के एक मात्र मालिक खातेदार आप क्रेता एवं आपके उत्तराधिकारी होगें । विक्रेता या उसके उत्तराधिकारियों का अब उक्त 16 बिस्वा 6 बिस्वांशी भूमि से कोई वास्ता, सरोकार, बंट, दखल, हस्तक्षेप, अधिकार इत्यादि नहीं रहा है । विक्रेता के जो खातेदारी अधिकार है वे सभी आप क्रेता के होगें एवं आप क्रेता विक्रय सुदा उक्त 16 बिस्वा 6 बिस्वांशी भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग व उपभोग कर सकेंगे, उसका नियमन करवा सकेंगे, उसे हस्तान्तरण कर सकेंगे जिसमें विक्रेता या उसके उत्तराधिकारियों को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी । यदि भविष्य में उक्त भूमि के विक्रय करने संबंधी विक्रेता के अधिकार में किसी भी प्रकार की कमी के कारण उक्त विक्रय सुदा भूमि या उसका कोई भाग आप क्रेता के कब्जे से निकल जावें या आप क्रेता को कोई किसी प्रकार की क्षति उठानी पड़ी तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी व जवाबदारी विक्रेता की होगी एवं उसके लिये विक्रेता व उसके उत्तराधिकारी हर प्रकार से व्यक्तिगत व सम्पत्ति से उत्तरदायी रहेंगे ।

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री HANUMAN PRATAP SINGH GPA HOLDER OF SMT UDAI KANWAR AND BALVEER SINGH , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHRI ISHWAR SINGH JI , व्यवसाय Businessजाति 0-RAJPUT House No.:00, Colony: DEVLIYA, Area: JODHPUR , City: JODHPUR, Pin code: 342027, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 28 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री HARSHVARDHAN SINGH , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHRI KARAN SINGH JI , व्यवसाय Businessजाति 0-RAJPUT House No.:00, Colony: UCHIYARDA, Area: UCHIYARDA, City: JODHPUR , Pin code: 342027, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 29 Signature :

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 1500000/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 1500000/- पूर्व में -------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री JAI SINGH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHRI MALAM SINGH JI जाति RAJPUT Age: 47 Add: House No.:24-A, Colony: MOHAN NAGAR , Area: B J S COLONY, City: JODHPUR , Pin code: 342006, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN	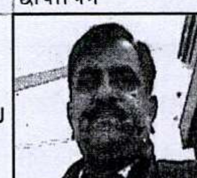		Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री D L RATHI , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ADVOCATE जाति MAHESHWARI Age: 68 Add: House No.:00, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342006, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

202301054003035

उप पंजीयक, JODHPUR-IV

उपपंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

Sale Deed (Conveyance Deed)

5. कि आप क्रेता इस दस्तावेज की रूह से उक्त खसरा नम्बर 50/1 की भूमि में से उत्तर दिशा की रकबा 16 बिस्वा 6 बिस्वांशी भूमि का म्युटेशन अपने नाम से भरवा सकेंगे व उक्त 16 बिस्वा 6 बिस्वांशी भूमि की तरमीम करवा सकेंगे जिसमें विक्रेता की पूर्ण सहमति है तथापि उक्त भूमि के म्युटेशन व तरमीम हेतु विक्रेता के बयानों या हस्ताक्षरों की आवश्यकता हुई तो विक्रेता सहर्ष उपस्थित होकर आप क्रेता के हक में बयान देकर हस्ताक्षर कर देगें ।

6. कि उक्त भूमि पर आज से पूर्व की यदि कोई सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी राशि, लगान या किसी भी वित्तीय संस्था/बैंक इत्यादि की कोई राशि बकाया हुई तो उसे अदा करने की जिम्मेवारी विक्रेता की होगी । भविष्य में नियमानुसार अदायगी की जिम्मेवारी आप क्रेता की रहेगी ।

7. कि विक्रेता ने उक्त भूमि के स्वामित्व से संबंधित निम्न दस्तावेज आप क्रेता को सुपुर्द कर दिये है :–

0 – जमाबन्दी की सत्य प्रतिलिपि.
0 – गिरदावरी की सत्य प्रतिलिपि.
0 – खसरा नक्शा की सत्य प्रतिलिपि.
0 – आम मुख्तयारनामा दिनांक 20.1.2023 की फोटो प्रति जो विक्रेता श्रीमती उदय कंवर व बलवीरसिंह ने मुझ हनुमानप्रताप सिंह के हक में निष्पादित किया.

उक्त दस्तावेज के अलावा अन्य कोई दस्तावेज विक्रेता के पास नहीं है। भविष्य में मिलेंगे तो आप क्रेता को सुपुर्द कर दिये जावेंगे अन्यथा आप क्रेता के हितों के विरूद्ध निष्प्रभावी व रद्द समझे जावेंगे।

..........5.

8. कि इस विक्रय विलेख के निष्पादन व पंजीयन संबंधी समस्त खर्चा आप क्रेता के जिम्मे होने से स्टाम्प आप क्रेता के नाम से खरीद किये गये है, शेष मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क भी आप क्रेता ही अदा करेंगे ।

9. कि उक्त जोधपुर केन्द्र बिन्दु से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एवं मुख्य सड़क से दूर स्थित है । उक्त भूमि असिंचित भूमि है । इस प्रकार इस विक्रय की जा रही भूमि की बाजारू कीमत विक्रय विलेख में दर्शाये गये मूल्य से अधिक नहीं है जिस पर नियमानुसार मुद्रांक शुल्क पेश है ।

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (राज.)

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने राजी खुशी, स्वस्थचित्त व तन्दुरूस्ती की अवस्था में बिना नशे या दबाव के सोच समझकर निम्न साक्षीयों की मौजूदगी में अपने हस्ताक्षरों से निष्पादित कर दिया है जो सही व साक्षी रहें एवं वक्त जरूरत काम आवें। इति. दिनांक 04.2.2023.

क्रेता

विक्रेता
निष्पादनकर्ता.

हनुमानप्रतापसिंह S/O ईश्वरसिंह
देवलिया कलां, जोधपुर

साख-1 सवाईसिंह S/O गोपालसिंह
... जोधपुर

साख – 2 जयसिंह S/O श्री मालमसिंह जी
बी.जे.एस. कॉलोनी, जोधपुर

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 1500000 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 97500 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 15000, सरचार्ज राशि 29250 कुल रू 141750 रसीद संख्या 202302054003044 दिनांक 04-02-2023 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रू 97500 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202301054003035 उप पंजीयक, JODHPUR-IV

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

Registration Endorsement

आज दिनांक 04/02/2023 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 420 में
पृष्ठ संख्या 142 क्रम संख्या 202303054102419 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1679 के
पृष्ठ संख्या 705 से 724 पर चस्पा किया गया।

202301054003035 उप पंजीयक, JODHPUR-IV

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

कार्यालय उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर (रा.)

NOTE (U/S 39): Reason Defined Below

नोट :–

अन्तर्गत नियम (39) – निष्पादनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अपंजीकृत/पंजीकृत आममुख्त्यारनामा/ खास मुख्त्यारनामे के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, चूंकि उप पंजीयक को दस्तावेज के टाईटल की वैधता जांचने का अधिकार नहीं होता है अतः निष्पादनकर्ता (आममुख्त्यार होल्डर/खास मुख्त्यार होल्डर) द्वारा सलंग्न शपथ–पत्र बाबत् आज दिनांक को प्रिंसीपल जिंदा है, आम मु0/खास मु. नामा निरस्त नहीं किया गया है, व प्रभावी है, भविष्य में होने वाले वाद –विवाद के लिए निष्पादनकर्ता स्वयं की व्यक्तिगत जिम्मेधारी है, के आधार पर दस्तावेज नोट अंकन कर पंजीबद्ध किया गया है।

उप पंजीयक JODHPUR (FOURTH)

उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर

जमाबन्दी

पृष्ठ नं. 545

जमाबन्दी गांव : [illegible]
तहसील : जोधपुर
सम्वत : 2061 - 2064
क्षेत्रफल : [illegible]

पटवार क्षेत्र : [illegible]
जिला : जोधपुर
वास्तविक सम्वत : 2061

भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र : जोधपुर
दिनांक : 2/9/2005

Version

खेवट (खतोनी) नया	खेवट (खतोनी) पुराना	भूमि धारकों का नाम	काश्तकार का नाम, पिता जाति तथा निवास स्थान के पता सहित तथा कृषि काल	खसरा नं.	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	देय लगान दर	देय लगान रकम	नामान्तरकरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि ब्यौरा विशिष्टियाँ जिसके पक्ष भूमि अन्तरित हो	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल:			कुल खसरा = 1	कुल क्षेत्रफल = 7		भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल बारानी I 7			3.92 3.92			
36	80	राज. सरकार	नबरसिंह पि. मेगसिंह मनोहरसिंह पि. मेगसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार ना. सं. 135	50	77-16	बारानी III 77-16	—		21.87			
कुल:			कुल खसरा = 1	कुल क्षेत्रफल = 77-16		भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल बारानी III 77-16			21.87 21.87			
37	42	राज. सरकार	जवाराराम पि. उदाराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार नाम.स.125	27	15	बारानी III 15			4.25			
कुल:			कुल खसरा = 1	कुल क्षेत्रफल = 15		भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल बारानी III 15			4.25 4.25			
38	43	राज. सरकार	लालमसिंह भगवतसिंह पि. पदमसिंह जाति राजपूत सा. देह ब.हि.ब.खातेदार	33	57-06	बारानी III 57-06	—		16.11			
कुल:			कुल खसरा = 1	कुल क्षेत्रफल = 57-06		भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल बारानी III 57-06			16.11 16.11			
39	44	राज. सरकार	जे.एल.कानवा पि.जी.आर.कानवा जाति जटिया निवासी शिकारगढ चौराया जोधपुर 2.[illegible] पि.तेजाराम जाति मेघवाल निवासी खियासरिया	81	20	बारानी I 20	—		11.20			
कुल:			कुल खसरा = 1	कुल क्षेत्रफल = 20		भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल बारानी I 20			11.20 11.20			
40	4	राज. सरकार	जे.ऐल कानवा पि. जी आर कानवा जाति जे.एल.कानवा पि.जी.आर.कानवा जाति नाटिया सा. शिकारगढ जोधपुर खातेदार जटिया निवासी शिकारगढ जोधपुर खातेदार	82 82/1	3-18 1	बारानी 3-18 बारानी 1			2.18 0.56			
कुल:			कुल खसरा = 2	कुल क्षेत्रफल = 4-18		भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल बारानी 4-18			2.74 2.74			
कुल:				[illegible]		बारानी			2.30			
41	45	राज.	[illegible] जाति [illegible]									

हस्तलिखित टिप्पणियाँ:

(खाता 36) नामांतं 646 कैलाश [illegible] —नामांत 17 M.N.354 पृष्ठ सं० 8 के पिछे दर्ज है। M.N. 173 - पृष्ठ के पीछे देखे।
के दर्ज ख.न 50/2 रकबा [illegible] के रेखातेदार के स्थान पर सिमा यादव पत्नी राजकुमार यादव जाति अहीर नि० 28 कन्हैयानगर [illegible] जोधपुर 50/2 दर्ज किया।

(खाता 37) ना.सं. 703 (न्याय. आदेश) 13/01/2022 — जवाराराम पि० उदाराम के स्थान पर — जवाहरलाल पि० उदाराम दर्ज किया।

ना.क्र. 1150 (बटवारा) होने से —
(1) जब्बरसिंह s/o मेगसिंह जाति राजपूत सा० देह खातेदार 50 रकबा 38-18 बा-III 10.94 दर्ज किया।
(2) मनोहरसिंह s/o मेगसिंह जाति राजपूत सा० देह खातेदार 50/1 रकबा 38-18 बा-III 10.93 दर्ज किया।
M.N. 151 से मनोहरसिंह द्वारा बेचान के पक्ष मंजूदेवी w/[redacted]
जाति [illegible] [illegible] शिकारगढ पीतांबर रेखा [redacted]
त्रिलोकचन्द कंवर जाति माली सा. [illegible] शिव[redacted]
जोधपुर के नाम 50/2 रकबा 8-10 बीघा दर्ज की गई।

सत्य प्रतिलिपि
P-35 क्र. 2540 दि. 14-11-22
(रोशन सिंह)
पटवारी (भू.अ.) जोधपुर
A/C नं 1551 [illegible]

खसरा खातरा [illegible]

M.N. 301 — 5-10-9
के जरिये ख.नं. 50/1 रकबा 30-18 बीघा में से 50/4 रकबा 7-00 बीघा बाबत के चार

बेचान नामान्तरण खातेदार रेखा तंवर खुशबु तंवर व प्रिया यादव राजकुमार जाति यादव अहीर सा. जोधपुर खातेदार दर्ज किया।

मंजूदेवी W/o बीरमाराम जाति आचार्य, ब्राह्मण
रेखा तंवर W/o त्रिलोक तंवर जाति माली
अनिता D/o बीरमाराम जाति आचार्य ब्राह्मण
खुशबु तंवर D/o त्रिलोक तंवर जाति
माली प्रिया यादव W/o राजकुमार
जाति यादव सा. जोधपुर खातेदार दर्ज।

M.N. 354 — 20-7-10
से. जबरसिंह S/o मेगसिंह के द्वारा बेचान से —
मंजू देवी W/o बीरमाराम जाति ब्राह्मण नि० कन्या नगर
सिकारगढ़ जोधपुर ख.नं. 50/5 रकबा 1-00 बीघा / 25 फ्रा०
बा.I लं० - 0.28 दर्ज किया। शेष खाता बदस्तूर

M.N. 399 — 5-1-12
से जबरसिंह पि. मेगसिंह के द्वारा बेचान से —
(1) सरोज बिड़ला W/o राजेन्द्र कुमार जाति माहेश्वरी सा. सरदार रोड जोधपुर
ख.नं. 50/6 रकबा 8-00 बीघा दर्ज तथा (2) अर्चना बिड़ला W/o सुरेश बिड़ला
जाति माहेश्वरी सा. सरदार रोड, जोधपुर ख.नं. 50/7 रकबा 2-01 बीघा दर्ज शेष बदस्तूर

M.NO. 400 — 5-1-12
से पूनम देवी पत्नी हनुमान आचार्य के द्वारा बेचान से —
(1) अर्चना बिड़ला पत्नी सुरेश बिड़ला जाति माहेश्वरी सा. सरदार रोड
जोधपुर ख.नं. 50/3 रकबा 4-00 बीघा दर्ज तथा मंजू देवी W/o बीरमाराम ब्राह्मण के
द्वारा बेचान से अर्चना बिड़ला पत्नी सुरेश बिड़ला जाति माहेश्वरी सा. सरदार रोड, जोधपुर
ख.नं. 50/5 रकबा 1-00 बीघा दर्ज।

M.N. [illegible] मनोहरसिंह पुत्र उनके बयान पर [illegible] मनोहरसिंह [illegible] मनोहरसिंह [illegible] दर्ज किया

[illegible] जबरसिंह S/o मेगसिंह के बयान पर — [illegible] जबरसिंह

MMN. 155 इकरार — किरण कंवर के बयान पर —
रूपसिंह S/o जबरसिंह रतनकंवर जबरसिंह

ख.नं. 136/1 रकबा 8-08 बीघा बा-I लं० - 4.70 दर्ज किया।

(2) शोभा W/o विजेन्द्रसिंह पंवार जाति माली नि० मेड़ती गेट जोधपुर
ख.नं. 136/2 रकबा 5-12 बीघा बा-I लं० - 3.14 दर्ज किया।
शेष खाता बदस्तूर।

M.NO. 381 बेचान दि० [illegible] द्वारा → M.N. 352 से दर्ज उषा धींग
के स्थान पर व M.NO. 164 से दर्ज पद्मसिंह वगैरा द्वारा बेचान
करने पर → श्रीमति करुणा जैन W/o महावीर लूणिया जाति
ओसवाल सा. 8-32 शास्त्रीनगर जोधपुर खातेदार कायम →

ख.नं. 136/1	8-08-0	बा.I	4-70	
136/3	11-0	बा.I	6-16	
2	19-08	बा.I	10-86	दर्ज किया।

पद्मसिंह वगैरा ख.नं. 136 20-0 बा.I लगान 11-20

सत्य प्रतिलिपि 2540 दि० 14-[illegible]
(रोशन सिंह)
पटवारी
[illegible]

MN. 416 दि० 6.10.12 :- प्रेमकंवर, पद्मकंवर पुत्री राजसिंह द्वारा इकरार करने से उनका नाम खाते से हटाया गया।

MN 43 दि० 6.6.13 बेचान — MN 352 द्वारा दर्ज शोभा W/o विजेन्द्रसिंह के स्थान श्रीमति विमलादेवी पत्नी जवरीलाल लूणिया जाति जैन नि० 8-32 शास्त्रीनगर ख.नं. 136/2 रकबा 5-12 बीघा बा.I लगान 3-14 दर्ज किया

नामा.सं. 510 दिनांक 20.8.15 बेचान — विमलादेवी के साथ ख.नं. 136/2
चन्द्रकान्ता W/o बाबूराम सुथार नि. सरदारपुरा जोधपुर ख.सं. 71 रकबा 01.09 बिस्वा ख.सं. 72 रकबा 01.14 बिस्वा दर्ज शेष बदस्तूर

नामा.सं. 517 दिनांक 5-9-15 बेचान — विमलादेवी के साथ ख.नं. 136/2
(1) प्रेमप्रकाश S/o चैनराज जाति जैन नि. [illegible] जालोर (ख.सं. 102 रकबा 01-09 बिस्वा ख.सं. 103 रकबा 01-09 बिस्वा, ख.सं. 104 से 107 रकबा 5-15 बिस्वा)
(2) मोनिका शर्मा W/o [illegible] जाति शर्मा नि रामानिया [illegible] पंचवटी [illegible] (ख.सं. 95 रकबा 01-14 बिस्वा ख.सं. 96 रकबा 01-09)
(3) रशीद खोखर S/o रमजान जाति मुसलमान नि पहाड़गंज I जोधपुर (ख.सं. 166 रकबा 01-14 बिस्वा) दर्ज। शेष बदस्तूर

शेष देखे पृष्ठ 9'A' पर

प्रपत्र सं. पी. 21

No. 371476 (परत)

नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम उचियारड़ा पटवार हल्का नान्दड़ा कलां भू.अ. निरीक्षक हल्का जोधपुर तहसील जोधपुर जिला जोधपुर राजस्थान

वर्तमान जमाबन्दी (खतौनी) में शुद्धि किये जाने के लिए प्रस्थापित प्रविष्टि							जमाबन्दी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिये प्रतिप्रस्थापित नई प्रविष्टि								
प्रविष्टि की क्रम संख्या	जमाबन्दी में खेतों की संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	राजस्व या लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	नयी जोत की संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	राजस्व या लगान	विक्रय की दशा में कीमत सहित रजिस्ट्रीकरण का स्वरूप तथा तारीख तथा बन्धक की दशा में बन्धक ऋण की रकम मय रजिस्ट्रीकरण की तारीख या मोचन की तारीख	सम्बन्धित ... जिसके ...	टिप्पणियां ... जांच से सम्बन्धित ... दस्तावेज के अनुसार ... भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	~~358~~ 36	50/2	8-00	बा.III		मंजूदेवी w/o बीरमाराम जाति ब्राह्मण प्रियायादव w/o राजकुमार जाति अहीर सा. कन्हैयानगर शिकारगढ़ जोधपुर		केशरसिंह s/o पहलादसिंह जाति राजपूत सा. दइजड़ा	50/10	2-19-10	बा.III		01 $\frac{03}{23}$ 01	429	89 104166
								हर्षवर्धनसिंह s/o करणसिंह जाति राजपूत सा. देह	50/9	1-03-11	बा.III		04 $\frac{02}{23}$ 01	420	144 102421
								शेष खाता व खसरा बदस्तूर							
	36	50/4	7-00	बा.III		मंजूदेवी w/o बीरमाराम अनिता D/o बीरमाराम जाति ब्राह्मण प्रियायादव w/o राजकुमार जाति यादव सा. देह खातेदार		गिरधर s/o पूनाराम जाति सैन सा. उम्मेद खारा जोधपुर	50/12	2-14	बा.III		01 $\frac{03}{23}$ 01	429	88 104165
								हर्षवर्धनसिंह s/o करणसिंह जाति राजपूत सा. देह शेष खाता व खसरा बदस्तूर	50/11	0-19-12	बा.III		04 $\frac{02}{23}$ 01	420	143 102420
	36	50/1	23-18	बा.III		उदयकंवर w/o मनोहरसिंह बल्ल गिरिसिंह s/o मनोहरसिंह राजपूत सा. देह शेष बदस्तूर		हर्षवर्धनसिंह s/o करणसिंह जाति राजपूत सा. देह (0-16-06 बीघा) शेष बदस्तूर	कॉलम 3 से 6 बदस्तूर				04 $\frac{02}{23}$ 01	420	142 102419

दुत्तायची

ग्रामसभा कि बैठक दिनांक 09 $\frac{03}{23}$ के प्रस्ताव 01 द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

Checked

ILR - जोधपुर
03.3.2023

[signature] 03-03-23
प. नान्दड़ा कलां

रा.मु.जो.

सत्य प्रतिलिपि
P-35 क्रमांक 231/A
[signature] 23.03.23

पटवारी (भू. अ.)
पटवार मंडल-नांदड़ा कलां, तहसील-जोधपुर

Scanned with CamScanner

नक्शा - किश्तवार
मौजा - उचियारड़ा
तह. - जोधपुर

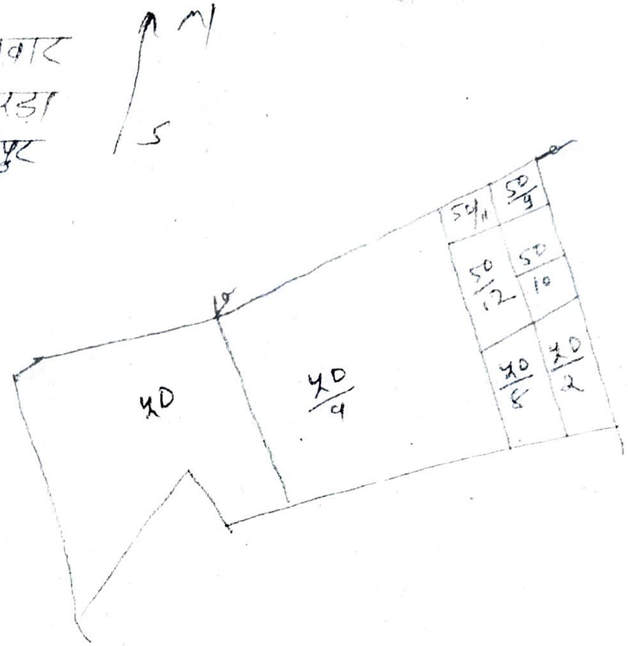

2314

23-03-23

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur-rj@gov.in वेब–साईट https://urban.rajasthan.gov.in/joda Phone No. 0291 2612069/2656357 Fax 0291 2612066

कमांक: एफ–37 / जेडीए / ले–आउट प्लान / 2023 / 207

दिनांक :: 16/11/23

श्री हर्षवर्धनसिंह पुत्र श्री करणसिंह,
निवासी–उचियारडा, जोधपुर

विषय :–राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 50 / 9, 50 / 11 व 50 / 14 रकबा 02.19.09 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 50 / 9, 50 / 11 व 50 / 14 रकबा 02.19.09 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 33 / 2023 वीं बैठक दिनांक 06.10.2023 में प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई पूर्व कमिट्मेंट अनुसार 80 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 40 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 80–80 फीट की सडको को योजना मानचित्र में दर्शाया जावें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
6. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें।
7. योजना का क्षैत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि परOverhead Water Tankका निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।
8. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई

विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

11. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

अतः उपरोक्तानुसार उक्त शर्तो की पूर्ति करते हुए आवश्यक संशोधन कर प्रश्नगत भूमि के ले–आउट प्लान की चार प्रतिया बिन्दुवार पूर्ति कर संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

16/11/23

उप नगर नियोजक

क्रमांकः एफ–37/जेडीए/ले–आउट प्लान/2023/ 208 **दिनांक ::** 16/11/23

प्रतिलिपी :– वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. उपायुक्त (जोन–1) को प्रेषित कर लेख है कि विधानसभा आम चुनाव–2023 में आदर्श आचार संहिता के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.10.2023 को जारी पत्र एवम् उक्त में अंकित संदर्भित पत्रों की पालना अनिवार्य रूप में जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावें।

16/11/2023

उप नगर नियोजक

पत्र प्राप्त 11/12
पत्र जावक शाखा
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर (राज.)

COM-P-D \2019\LPC\GENRAL LETER

हिन्द ई-सर्विसेज
Mob. : 9079571003,9462776786

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN AB 435004

रहन नामा (Mortgage Deed)

रहम नामा एक लिख देते है श्री हर्षवर्धन सिंह पुत्र श्री करण सिंह जी निवासी ग्राम उचियारड़ा जिला व तहसील जोधपुर ,शपथ पूर्वक बयान करते है कि जिन्हे आगे इस दस्तावेज में प्रथम पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

बहक

सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर जिन्हे आगे इस दस्तावेज में द्वितीय पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के पक्ष में यह दस्तावेज निम्न प्रकार से तहरीरी कर देता हु कि -:

NOTARY ANIL SURANA ADVOCATE JODHOUR (RAJ.) Reg.No. 13959 EXPIRY DATE 07/02/2029 GOVT. OF INDIA

1.यह है की प्रथम पक्षकारान की खरीद सुदा कृषि भूमि खसरा न. 50/9,50/11,50/14 कुल रकबा 02-19-09 बीघा ग्राम उचियारड़ा जिला व तहसील जोधपुर में आयी हुई है।

2. यह है की उक्त कृषि भूमि का जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट दिनांक 06.10.23 को अनुमोदित किया जा चूका है तथा 90-A की कार्यवाही दिनांक 08.09.23 को पूर्ण हो चुकी है।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

ATTESTED

NOTARY,JODHPUR

Scanned with OKEN Scanner

स्टाम्प विक्रेता - ... 09/3/24 ... अनुज्ञा पत्र संख्या 09/2...

क्र. सं. 18674 ... स्टाम्प क्रेता का नाम ... ई पश्चिम निगम लि0 ... करनाल

पिता / पति का नाम ...

पता - ... अधिशासी अभियंता ...

प्रयोजन. ...

स्टाम्प विक्रेता के हस्ताक्षर

कचहरी ...

डि0क्र. 6881-2432-7321

50

10

10

... के हस्ताक्षर ...

3. यह है की टाउनशिप पॉलिसी में निर्धारित मापदंडो के अनुरूप आंतरिककार्य के बाबत 12.5 प्रतिशत भूमि द्वितीय पक्षकार के पास रहन रखे जाने है इस आवासीय कॉलोनी में आंतरिक विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 एक्ट के नियम 12 के अधीन उक्त विकास करने के लिए प्रतिबंध हु अन्यथा नियमानुसार पेनल्टी भुगतान को तैयार हु उक्त समयवधि में आंतरिक विकास नहीं करने पर भूखंडो को विक्रय हेतु प्राधिकरण अधिकृत होगा।

4. यह है की उक्त खसरा न. 50/9,50/11,50/14 के अनुमोदित ले -आउट प्लान में से 12.5 प्रतिशत भूखंड का विवरण निम्न है।

भूखंड संख्या	भूखंडो का क्षेत्रफल
12	344.37 वर्ग गज

5. यह है की उपरोक्त वर्णित सारणी के भूखंडो को हम प्रथम पक्षकार टाउनशिप पॉलिसी या निर्धारित मापदंडो के अनुरूप आंतरिक विकास कार्य के बाद 12.5 % भूखंडो के अंतर्गत द्वितीय पक्षकार के पास रहन रख रहे है।

6. यह क़ी उक्त भूखंडो को आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने की अवधि तक के लिए रहन रखा गया है। जो आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय पक्षकार नियुक्त कर्मचारी की रिपोर्ट के पश्चात द्वितीय पक्षकार रहन मुक्त कर सकेंगे तत्पश्चात 12.5 % भूखंडो के पटटे प्रथम पक्षकार प्राप्त करने के अधिकार रहेंगे।

लिहाजा ये रहनामा प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार के हक़ में राजी खुशी अक्ल होशियारी से बिना नशे पते और बिना किसी दबाव को पढ़ कर सुनकर निष्पादित कर दिया गया है। जो लिखे माफिक सही है व सनद है तथा वक्त जरुरत काम आवे।

NOTARY ANILSURANA ADVOCATE JODHPUR (RAJ.) GOVT. OF INDIA

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

ATTESTED
NOTARY JODHPUR